समेकित छत्तसीगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004

(दिनांक 07.05.2008 की अधिसूचना तक समेकित)

विनियम का नाम	विनियम क्रमांक	अधिसूचना दिनांक
छत्तसीगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004	2/सीएसईआरसी/2004	04.01.2005
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008	27/सी.एस.ई.आर.सी./2008	07.05.2008

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर

रायपुर दिनांक 7 दिसम्बर 2004

क्रमांक 2/सीएसईआरसी/2004–विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का क्रमांक 36) की धारा 15 एवं 181 (2) (b) एवं (c) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:

छत्तसीगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004
(2004 का क्रमांक 2)

अध्याय 1 : प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(1) इस विनियम, को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004 (2004 का क्रमांक 2) कहा जाएगा।

(2) ये विनियम छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

(3) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

2. परिभाषाएं

(1) इस विनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

''**वित्तीय विवरण**'' वित्तीय विवरण से अभिप्रेत है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अनुज्ञप्त व्यवसाय का वित्तीय विवरण जिसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 (वर्ष 1956 का क्र. 1) (जिसे आगे ''कंपनी अधिनियम'' कहा जायगा) के प्रावधान के अनुसार बनाये गये लाभ एवँ हानि लेखा, तुलन पत्र, निधि के आगम का स्त्रोत और उसके उपयोग तथा इनसे संबन्धित विस्तृत टीप समाविष्ट होंगे। इसमें, आयोग द्वारा समय–समय पर निदेशित अन्य ब्यौरे एवं विवरण भी समाहित होंगे।

''वार्षिक लेखा'' से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और/या ऐसी अन्य रीति में, जैसा कि आयोग द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की शर्तों के अनुसार निदेशित किया जाय, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किया गया लेखा।

''कार्य का क्षेत्र'' से अभिप्रेत है अनुज्ञप्ति में उल्लेखित गतिविधि का क्षेत्र जिसके भीतर अनुज्ञप्तिधारी लाइनों की स्थापना, संचालन और संधारण हेतु अधिकृत है। व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में इससे अभिप्रेत है वह क्षेत्र जिसके भीतर अनुज्ञप्तिधारी व्यापार करने हेतु अधिकृत है।

''लेखा परीक्षक'' से अभिप्रेत है अनुज्ञप्तिधारी का लेखा परीक्षक जो कम्पनी अधिनियम की धारा 224 लगायत 233 या धारा 619, जो भी उपयुक्त हो, की आवश्यकताओं के अनुपालन में कार्यरत हो।

किसी व्यक्ति, व्यापार या गतिविधि के संबंध में ''**प्राधिकृत**'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति या उसी अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं पंचम परंतुक के अधीन समझी गयी प्रदत्त अनुज्ञप्ति या उसी अधिनियम की धारा 13 और आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों के अधीन प्रदत्त विमुक्ति, द्वारा प्राधिकृत।

''केन्द्रीय अधिनियम'' से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का क्र.36)।

''समझा गया अनुज्ञप्तिधारी'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं पंचम परंतुक के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति।

''वितरण'' से अभिप्रेत है वितरण प्रणाली के द्वारा विद्युत का परिवहन।

''वितरण व्यवसाय'' से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने प्रदाय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु वितरण प्रणाली के संचालन और संधारण का अधिकृत व्यवसाय।

''वितरण संहिता'' से अभिप्रेत है वितरण (योजना एवं संचालन) संहिता, जो वितरण प्रणाली के संचालन और उपयोग और उसके संयोजन से संबंधित समस्त सारभूत तकनीकी पक्षों को शासित करती हो, जैसी कि आयोग द्वारा अनुमोदित हो।

''उत्पादन अंतर्संयोजन सुविधाएं'' से अभिप्रेत है विद्युत लाइनें, ट्रांसफार्मर, बसबार, स्विच गियर, संयंत्र या उपकरण जो उत्पादन संयत्रों द्वारा पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली के अभिगमन हेतु प्रयुक्त होते हैं।

''नियंत्रक कंपनी'' से वही अभिप्रेत होगा जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित है।

''अंतरिम ग्रिड संहिता'' से अभिप्रेत है आयोग द्वारा ग्रिड संहिता के अनुमोदन के लंबित रहते, राज्य पारेषण यूटीलिटी द्वारा अपनाई जाने वाली विद्यमान पद्धति एवं प्रक्रिया।

''अन्तवर्ती पारेषण सुविधाएं'' से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व या उसके द्वारा संचालित विद्युत लाइनें, जहां ऐसी विद्युत लाइनें किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर उनके द्वारा विद्युत के पारेषण हेतु टैरिफ या प्रभार के भुगतान पर उपयोग की जा सके।

''अनुज्ञप्त व्यवसाय'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यवसाय, जैसा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति में अधिकृत किया जाय।

''प्रमुख घटना'' से अभिप्रेत है विद्युत के वितरण/पारेषण से संबंधित ऐसी घटना, जिसके परिणामस्वरूप सेवा में महत्वपूर्ण बाधा आती हो, उपकरण को सारभूत क्षति पहुंचती हो, या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती हो या उसे गम्भीर चोट पहुंचती हो; या विद्युत व्यापार के प्रकरण में विद्युत व्यापार को गम्भीर रूप से प्रभावित करती हो। इसमें ऐसी अन्य कोई घटना भी सम्मिलित होगी जिसे आयोग द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रमुख करना घोषित किया गया हो।

''संचालन नियंत्रण'' से अभिप्रेत है इकाईयों, लाइनों एवं उपकरणों का चालू करने एवं उनका उपयोग करने, संचालन संबंधी निर्णय लेने हेतु अधिकारिता।

''अन्य व्यवसाय'' से अभिप्रेत है अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्त व्यवसाय से भिन्न व्यवसाय।

''निष्पादन मानदण्ड'' से अभिप्रेत है आयोग द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 57 के अनुसरण में आयोग द्वारा निर्धारित किये गये वाले मानदण्ड।

''विशिष्ट शर्ते'' से अभिप्रेत है सामान्य शर्तों के अतिरिक्त या परिवर्तित शर्तें, जिन्हें आयोग द्वारा वितरण/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित किया गया हो।

''सहायक'' से वही अभिप्रेत होगा जैसा कंपनी अधिनियम की धारा 4 में है।

''अंतरण'' में सम्मिलित है विक्रय, विनिमय, दान, लीज, अनुज्ञप्ति, ऋण, प्रतिभूतिकरण, बंधक, प्रभार, या गिरवी रखना या अधिभारमुक्त करना या उसके लिये अनुमति देना या भौतिक आधिपत्य को अन्तरित करना या इस प्रकार कोई अन्य प्रबंध या व्यवहार करना।

''पारेषण व्यवसाय'' से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने स्वामित्व की एवं/या अपने द्वारा संचालित प्रणाली द्वारा चाहे अपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विद्युत के पारेषण का अधिकृत व्यवसाय।

''पारेषण प्रणाली'' से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व या नियंत्रण की 66 के.व्ही. एवँ उससे ऊपर की वोल्टेज वाली मुख्य रूप से अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाइनों की प्रणाली, जिसे दो उत्पादन सेटों के स्विच यार्ड, या उत्पादन सेट के स्विचयार्ड एवं उपकेन्द्र या उपकेन्द्रों के बीच या किसी बाहरी अंतसयोजन से या उसको और विद्युत पारेषण से संबन्धित लगाये या उपयोग किये गये किसी सयंत्र, उपकरण एवं मीटरों के मध्य तिद्युत परिवहन के प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जाता है। किन्तु इसमें वितरण प्रणाली का कोई भाग सम्मिलित नहीं है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियों, जो उपर परिभाषित नहीं है उसका वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय अधिनियम या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक (कार्य संचालन) विनियम 2004 में है।

अध्याय 2 : अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

3. अनुज्ञप्ति की प्रक्रिया

(1) कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत के पारेषण, वितरण या व्यापार के कार्य करना चाहता है या कर रहा है, वह आयोग को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के अनुसार समुचित अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करेगा।

(2) आयोग, यदि उसे उचित प्रतीत हो, समाचार पत्रों में विज्ञापन या अन्य रीति से, जो वह उपयुक्त समझे, अधिसूचित करके अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकेगा।

(3) पारेषण, वितरण एवं व्यापार के लिए आवेदन पत्र इस विनियम में संलग्न फार्म 1 ए, 1 बी एवं 1 सी में लिये जावेंगे एवं इसके समर्थन में आवेदक या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को, फार्म–2 में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(4) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन छः प्रतियों में (एक मूल प्रति एवं पांच अन्य प्रतियां) दिया जावेगा एवं वह आयोग के सचिव को संबोधित होगा।

(5) इसके साथ केन्द्रीय अधिनियम की धारा 180 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क, या उस समय तक जब तक कि राज्य शासन द्वारा शुल्क निर्धारित किया जाय, आयोग द्वारा निर्देशित शुल्क, दिया जायगा। शुल्क की अदायगी, आयोग के पक्ष में जारी, रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में की जावेगी।

(6) वितरण या पारेषण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जावेंगे–

(ए) वर्तमान अनुज्ञप्ति या इसमें दी गई छूट, यदि कोई हो तो, की प्रति;

(बी) पारेषण या वितरण के प्रस्तावित क्षेत्र का मानचित्र जो 1 से.मी. के बराबर 1 कि.मी. (1:1,00,000) माप से कम का न हो। यदि ऐसा मानचित्र उपलब्ध न हो तो सबसे बड़े माप का मानचित्र या अन्य ऐसे माप जो आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, का मानचित्र;

(सी) पारेषण/वितरण और प्रदाय के प्रस्तावित क्षेत्र में पारेषण जिला पंचायत एवं नगर निगम/नगरपालिकाओं की सूची;

(डी) प्रदाय के क्षेत्र में संरक्षित/आरक्षित वन, अभयारण्यों की सूची;

(ई) पारेषण/वितरण और प्रदाय के प्रस्तावित क्षेत्र में हवाई अड्डे या प्रतिरक्षा के प्रयोजन दृष्टि से शासन के आधिपत्य में स्थान या अन्य कोई इमारतों की सूची;

(एफ) व्यवसाय परियोजना की एक प्रति जिसके साथ युटिलिटी के लिये लगाई जाने वाली पूँजी का लगभग सही विवरण, ऐसे पूंजीगत व्यय हेतु वित्त व्यवस्था एवं ऐसे अन्य विवरण, जिनकी आयोग अपेक्षा करे;

(जी) भूमि एवं अथवा अन्य आस्तियाँ जिनका उपार्जन आवेदक अनुज्ञप्ति के उद्देश्य के लिए प्रस्तावित करता है एवं ऐसे अधिग्रहण के लिये संसाधनों की व्यवस्था का विवरण;

(एच) आवेदक के कंपनी, समिति, विधिक प्राधिकारण या भागीदारी प्रतिष्ठान होने की स्थिति में:

(i) कंपनी के मामले में संस्था के पार्षद सीमा नियम की एक प्रति; विधिक संस्था के मामले में इन्कार्पोरेशन दस्तावेज, पंजीयन दस्तावेज या साझेदारी विलेख की एक प्रति; एवं

(ii) विगत तीन वर्षों के लेखा से संबंधित वार्षिक लेखा या अन्य समान दस्तावेजों की प्रति।

(7) आवेदन पत्र के साथ उनके औचित्य सहित ऐसे विशिष्ट नियम एवं शर्तें, भी संलग्न की जानी चाहिएँ जिन्हें आवेदक अनुज्ञप्ति में सम्मिलित कराना चाहता है और आयोग द्वारा निर्धारित अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों में से अपवर्जन चाहता है।

(8)(ए) कोई भी व्यक्ति, जो पारेषण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता है, आवेदन करने के तत्काल बाद उसकी एक प्रति राज्य पारेषण यूटीलिटी को अग्रेषित करेगा।

(बी) उक्त आवेदन प्राप्त होने पर राज्य पारेषण यूटीलिटी उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजेगा एवं अपनी अनुशंसाएं या टिप्पणियां, यदि कोई हों, आयोग को आवेदन प्राप्ति से 30 दिवस की अवधि के भीतर प्रेषित करेगा।

4. आवेदन की अभिस्वीकृति

आवेदन की प्राप्ति होने पर प्राप्तिकर्ता अधिकारी उस पर उसके प्राप्ति की तिथि अंकित करेगा एवं आवेदक को प्राप्ति की तिथि सहित अभिस्वीकृति भेजेगा।

5. आम जनता के निरीक्षण के लिए मानचित्रों एवं प्रपत्रों की प्रतियां

आवेदक, विनियम 3 के खण्ड (6) में संदर्भित दस्तावेजों की प्रतियों को स्वयं के कार्यालय में एवं आयोग द्वारा निर्देशित अन्य स्थान पर आम जनता के निरीक्षण के लिए रखेगा एवं ऐसे दस्तावेजों की प्रतियों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को इन्हें ऐसे मूल्य पर प्रदाय करेगा जो छायाप्रति के सामान्य व्यय से अधिक न हो।

6. अपूर्ण या अपर्याप्त आवेदन

यदि परीक्षण पर कोई आवेदन किसी रीति में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो आयोग आवेदन को या तो वापस कर सकेगा या आवेदक से विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर ऐसी अतिरिक्त जानकारियां या विवरण या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जिसे आयोग आवेदन पर कार्यवाही के प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे। आवेदन वापस किये जाने की दशा में विनियम 3 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नया आवेदन दिया जा सकता है।

[1]{"**6 (A) अनुज्ञप्ति की अयोग्यता :–** *आयोग की राय में यदि किसी आवेदक के सम्बन्ध में उसकी " स्थिति या तथ्य " ऐसे है, जो कि उसकी, केन्द्रीय अधिनियम में निर्धारित कर्तव्यों एवं बाध्यताओं को पूर्ण करने की क्षमता के सम्बन्ध में संदेह पैदा करते है, तो वह आवेदक इन विनियमों के तहत् अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के योग्य नही होगा।*

स्पष्टीकरण :– इन विनियमों में " स्थिति एवं तथ्य " से अभिप्रेत है कि, आवेदक या उसका कोई साझेदार, संचालक या समर्थक (Promoter) को किसी न्यायलय द्वारा; नैतिक कार्यों, अभियोग / किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा हानिप्रद आदेष, किसी आर्थिक अपराध में संलग्नता, कपटपूर्ण अथवा अनैतिक व्यापारिक कार्य, चालाकी पूर्ण व्यापार और कोई अन्य पर्याप्त कारण; पाया जाता है।

तथापि किसी भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन को उपरोक्त कारणों से, आवेदक को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना निरस्त नही किया जा सकेगा।"}[1]

7. विधिवत आवेदन की प्राप्ति को अधिसूचित करना

यदि आयोग आवेदन को इन विनियमों के अनुसार समस्त प्रकार से पूर्ण पाता है तो सचिव, या इस प्रयोजन हेतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी, यह प्रमाणित करेगा कि आवेदन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विचार हेतु तैयार है और आवेदक को तद्नुसार सूचित करेगा।

8. आवेदन की सूचना का प्रकाशन

(1) आवेदन स्वीकार होने के 7 दिनों के भीतर आवेदक उसके क्षेत्र में / प्रस्तावित व्यवसाय के क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रपत्र 4 में आवेदन की सूचना प्रकाशित करायेगा।

(2) आवेदन में दिये गये उल्लेख के अनुरूप, प्रकाशन का संक्षिप्त शीर्षक होगा। इसमें ऐसे कार्यालयों का पता दिया जावेगा जिनमें उल्लेखित दस्तावेज, एवं मानचित्रों का निरीक्षण किया जा सकेगा और जहाँ से दस्तावेजों की प्रतियां क्रय की जा सकेंगी और यह भी उल्लेख होगा कि आवेदन पत्र के संबंध में प्रत्येक स्थानीय संस्था या व्यक्ति, जो अभ्यावेदन देने का इच्छुक हो, प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि के भीतर [1]*आयोग*[1] को पत्र संबोधित कर ऐसा कर सकेगा।

1. विनियम क्रमांक 27 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2008 द्वारा दिनांक 07.05.2008 से अंतःस्थापित / प्रतिस्थापित

9. आवेदन की सूचना की तामील

(1) आयोग, निर्देश दे सकेगा कि आवेदन की सूचना की तामील, केन्द्रीय शासन, राज्य शासन, स्थानीय संस्था या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति या निकाय, पर जैसा आयोग निदेशित करे, ऐसे प्रपत्र में, ऐसी विशिष्टियों सहित एवं ऐसी रीति में, जैसा आयोग उचित समझे, की जावे।

(2) आयोग को सुनवाई के लिए आवेदन के रखे जाने के पूर्व केन्द्रीय अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 2 के खण्ड (ii) की शर्तों के अनुसार आवेदक, केन्द्रीय शासन से अपेक्षित 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करेगा।

10. आपत्तियों पर विचार

(1) यदि कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति के प्रदान में कोई आपत्ति करना चाहता है तो वह, आवेदक द्वारा सूचना के प्रकाशन से 30 दिवस के भीतर, आपत्तियां प्रस्तुत करेगा। आपत्ति उत्तर के रूप में प्रस्तुत की जावेगी एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम 2004 के अध्याय दो खण्ड 15 के उत्तर के बाबत प्रावधान ऐसी आपत्तियां पेश करने में लागू होंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति की प्रस्तावित शर्तों में संशोधन कराना चाहता है, वह आयोग द्वारा आपत्ति पेश करने के लिए स्वीकार की गई अवधि के भीतर, संशोधन का विवरण आवेदक एवं सचिव को देगा।

11. सुनवाई एवं स्थानीय जांच

(1) यदि आवेदक ने आवेदन की सूचना के प्रकाशन की उचित व्यवस्था की है एवं आपत्ति प्रस्तुत करने का समय व्यतीत हो चुका है एवं आवेदक ने अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि कोई केन्द्र सरकार से अपेक्षित है, प्रस्तुत कर दिया है, तो आयोग आवेदन की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

(2) आयोग, सुनवाई की सूचना आवेदक, आपत्तियां प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों, केन्द्र सरकार, राज्य शासन एवं ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को देगा, जैसा आयोग उपयुक्त समझे।

(3) आयोग, पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन के संबंध में राज्य पारेषण यूटीलिटी की अनुशंसाओं, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति आवेदित अनुज्ञप्ति के प्रदान करने पर आपत्ति करता है तो, आवेदक या आपत्तिकर्ता के चाहने पर आयोग स्थानीय जांच करने हेतु अग्रसर होगा जिसकी लिखित सूचना आवेदक एवं आपत्तिकर्ता, दोनों को दी जावेगी।

(5) ऐसी स्थानीय जांच के प्रकरणों में की गई जाचं के निष्कर्षों का प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा एवं आवेदक, अधिकारी या इस प्रयोजन हेतु नाम निर्दिष्ट व्यक्ति एवं अन्य ऐसे व्यक्ति, जैसा आयोग निर्देश दे, द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(6) उसके पश्चात् जहाँ तक संभव हो सके, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम 2004 के अध्याय दो में उपबंधित रीति में अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन की सुनवाई की जायगी।

12. अनुज्ञप्ति का प्रदान किया जाना

(1) जांच, यदि कोई हो, एवं सुनवाई के पश्चात् आयोग अनुज्ञप्ति प्रदान करना स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा एवं यदि वह अनुज्ञप्ति प्रदान करना विनिश्चत करता है तो वह ऐसी शर्तों

एवं निबंधनों एवं सामान्य या विशिष्ट शर्तों के ऐसे संशोधनों पर, जैसा आयोग उचित समझे, ऐसा कर सकेगा।

(2) जब आयोग अनुज्ञप्ति दिया जाना अनुमोदित करता है तब सचिव ऐसे अनुमोदन एवं प्रारूप जिसमें अनुज्ञप्ति को प्रदान करना प्रस्तावित है एवं आवेदक द्वारा पूर्ति की जाने वाली शर्तों के बारे में आवेदक को सूचित करेगा।

13. अनुज्ञप्ति को प्रदान करने की अधिसूचना

(1) उस व्यक्ति जिसे अनुज्ञप्ति जारी किया जाना प्रस्तावित है, के नाम एवं पते का उल्लेख करते हुए आयोग एक सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में, जैसा आयोग उचित समझे, प्रकाशित करेगा।

(2) आवेदक से लिखित सूचना प्राप्त होने पर कि वह आयोग द्वारा अनुमोदित स्वरूप में अनुज्ञप्ति को स्वीकार करने का इच्छुक है एवं आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अधिरोपित शर्तों की पूर्ति करने पर, अनुज्ञप्ति या उसका कोई भाग या उसका तात्पर्य, जैसा आयोग उचित समझे, प्रकाशित करने के लिए आयोग, आवेदक को निर्देश देगा।

(3) आयोग, अनुज्ञप्ति जारी करने के तुरंत पश्चात् उसकी एक प्रति, राज्य शासन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, स्थानीय संस्थाए एवं अन्य ऐसे व्यक्तियों को, जैसा आयोग आवश्यक समझे, अग्रेषित करेगा।

14. अनुज्ञप्ति के प्रारम्भ की तारीख

अनुज्ञप्ति, आयोग द्वारा निर्देशित तारीख से प्रारम्भ होगी एवं यह 25 वर्ष की समयावधि के लिए प्रभावशील होगी। परन्तु विधि के अनुसार इसको पूर्व में भी समाप्त किया जा सकेगा।

15. मानचित्रों को जमा किया जाना

(1) जब अनुज्ञप्ति प्रदान कर दी जाती है, तो विनियम 3 में विनिर्दिष्ट विवरणों को दर्शाते हुए नक्शों के तीन सेट अनुज्ञप्ति के प्रदान करने की अधिसूचना की तारीख के तदनुरूप ऐसे अधिकारी द्वारा दिनांकित हस्ताक्षरित किये जाएंगे जिसे इस निमित्त आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाये।

(2) ऐसे नक्शों का एक सेट कार्यालय में रखा जायगा एवं अन्य दो सेट आयोग के उपरोक्त वर्णित अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी को दिए जाएंगे।

(3) आयोग द्वारा जब कभी मांग की जाय, अनुज्ञप्तिधारी नक्शे को इलेक्ट्रानिक स्वरूप में प्रस्तुत करेगा।

16. अनुज्ञप्ति की प्रतियाँ जमा करना

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, इसे प्रदान किये जाने के 30 दिन के भीतरः—

(ए) अनुज्ञप्ति की प्रतियां पर्याप्त संख्या में मुद्रित करायेगा;

(बी) अनुज्ञप्ति में वर्णित प्रदाय के क्षेत्र को दर्शाने वाले नक्शे पर्याप्त संख्या में तैयार करायेगा; एवं

(सी) प्रदाय के क्षेत्र के भीतर उसके मुख्यालय और उसके स्थानीय कार्यालय, यदि कोई हो, पर सभी यथोचित समय पर जनता के निरीक्षण के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति और नक्शों की प्रति प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा।

(2) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, पूर्वोक्त 30 दिवस की समयावधि के भीतर प्रदाय क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक नगर निगम एवं नगरपालिका को अनुज्ञप्ति की प्रति निःशुल्क प्रदाय करेगा तथा अनुज्ञप्ति की समयावधि में इसके लिये आवेदन करने वाले समस्त व्यक्तियों को, अनुज्ञप्ति की मुद्रित प्रतियों के विक्रय की व्यवस्था ऐसे मूल्य पर करेगा जो छायाप्रति करने के सामान्य मूल्य से अधिक न हो।

17. विद्यमान अनुज्ञप्ति में संशोधन के लिए आवेदन

(1) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी जो विद्यमान अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं उपबंधों में संशोधन कराने का इच्छुक है, खण्ड 3 के अनुरूप आयोग को आवेदन, फार्म–3 में देगा।

(2) संशोधन हेतु आवेदन पत्र में –

(ए) विद्यमान प्रावधान एवं कारणों सहित अनुज्ञप्ति में प्रस्तावित संशोधन का विवरण शामिल होगा;

(बी) इसके साथ पारेषण या वितरण क्षेत्र में यदि कोई परिवर्तन चाहा जावे तो परिवर्तनों को स्पष्ट दर्शाते हुए एक नक्शा संलग्न किया जावेगा; एवं

(सी) प्रस्तावित संशोधन से संबंधित खण्ड 3(6) में वर्णित अन्य दस्तावेज संलग्न किये जावेंगे।

18. विद्यमान अनुज्ञप्ति में संशोधन या परिवर्तन के लिए आवेदन की सूचना

(1) विद्यमान अनुज्ञप्ति में संशोधन या परिवर्तन के लिए आवेदन पर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के समान रीति में विचार किया जावेगा।

(2) आवेदन में किसी प्रकार की कमी या अपूर्ण जानकारी की सूचना अनुज्ञप्तिधारी को 15 दिनों के भीतर दी जावेगी ताकि वह ऐसी कमी का निवारण करें या ऐसी अन्य अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करे, जैसा आयोग आवेदन के निपटारे के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।

(3) पूर्वोल्लिखित अनुसार जहां अनुज्ञप्तिधारी को 15 दिनों के भीतर किसी कमी के बारे में सूचित नहीं किया जाता है, वहां अनुज्ञप्तिधारी कथित 15 दिनों की समाप्ति के बाद एक सप्ताह के भीतर अपने क्षेत्र /प्रस्तावित व्यवसाय के क्षेत्र में व्यापाक प्रसार वाले दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रपत्र–5 में सूचना का प्रकाशन करेगा।

19. विद्यमान अनुज्ञप्ति में आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन की सूचना

(1) यदि आयोग के अभिमत में विद्यमान अनुज्ञप्ति में कोई संशोधन जनहित में आवश्यक है तो वह अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन करेगा।

(2) आयोग द्वारा सूचना की एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को भी, प्रस्तावित संशोधन पर उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए, तामील कराई जावेगी।

20. विद्यमान अनुज्ञप्ति में संशोधन/परिवर्तन

(1) अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं उपबंधों में संशोधन/परिवर्तन के आवेदन पर खण्ड 17 के अंतर्गत पेश की गई आपत्तियों पर विचार करने पर यदि आयोग का अभिमत बनता है कि ऐसा करना जनहित में है, तो वह ऐसा संशोधन कर सकेगा।

(2) जहां विद्यमान अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं उपबन्धों में कोई संशोधन आयोग द्वारा प्रस्तावित किया जाता है तो प्रस्तुत आपत्तियों पर खण्ड 17 के अंतर्गत विचार करने के पश्चात वह ऐसा संशोधन/परिवर्तन कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

(3) कोई भी संशोधन अनुज्ञप्तिधारी की सहमति के बिना स्वीकार नहीं किया जावेगा जब तक कि आयोग के अभिमत में सहमति अकारण रोकी गई हो एवं यह कि संशोधन करना जनहित में हो।

21. संशोधित अनुज्ञप्ति का प्रदाय एवं निरीक्षण

खण्ड 20 द्वारा संशोधित अनुज्ञप्ति पर खण्ड 16 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

अध्याय 3 : अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तें

22. अनुज्ञप्ति की शर्तें

(1) प्रत्येक वर्ग की अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तें इन विनियमों के अनुसार होगी। अनुज्ञप्ति के आवेदन पत्र के साथ सामान्य शर्तों बाबत आवेदक की सहमति संलग्न की जावेगी।

(2) आयोग द्वारा विशिष्ट शर्तें तय की जा सकेंगी जिनके अधीन आवेदक को अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।

23. अनुज्ञप्ति की अवधि

आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति स्वीकार करने हेतु जारी आदेश में दी गई नियत तिथि से एवं प्रदत्त अनुज्ञप्ति के आदेश में निहित निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञप्ति प्रवृत्त होगी तथा नियत तिथि से [1]*25 वर्ष की अधिकतम अवधि*[1] तक प्रभावशील रहेगी जब तक कि इन विनियमों या केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इसका आयोग द्वारा समय से पहले प्रति संहरण न कर दिया जाय।

24. आयोग को जानकारी देने का प्रावधान

(1) अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को बिना अनावश्यक देरी के ऐसी जानकारी, दस्तावेज एवं अनुज्ञप्त व्यवसाय या अनुज्ञप्तिधारी के अन्य व्यवसाय से संबंधित विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगा जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर अपने प्रयोजनों या भारत सरकार, राज्य शासन, केन्द्रीय आयोग एवं/या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य पारेषण यूटीलिटी एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो।

(2) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 128 के अंतर्गत आयोग के निर्देशानुसार अनुज्ञप्तिधारी विधिवत जानकारी संधारित करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी प्रमुख घटना के घटित होने पर, जिससे वितरण/पारेषण प्रणाली का कोई हिस्सा प्रभावित होता हो, आयोग को शीघ्रताशीघ्र सूचना देगा, औरः

(ए) घटना के संबंध में जानकारी एवं इसके कारणों सहित घटना की तिथि के एक माह के अंदर एक प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(बी) उक्त उपखण्ड 3(अ) के अंतर्गत दिये जाने वाले प्रतिवेदन को ऐसी घटना की तिथि से एक माह से ज्यादा समय लगने की संभवना की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी, घटना की तिथि से एक पखवारे

1. विनियम क्रमांक 27/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2008 द्वारा दिनांक 07.05.2008 से प्रतिस्थापित

के भीतर, युक्तिसंगत जानकारी के साथ एक प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा एवं ऐसे कारणों का उल्लेख करेगा कि उसे ऐसी घटना का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये क्यों एक महीने से अधिक समय लगेगा; तथा

(सी) इस प्रमुख घटना से संबंधित समस्त पक्षों एवं ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जैसा आयोग निदेशित करे, प्रतिवेदन की प्रतिलिपि देगा।

(4) कौनसी घटना प्रमुख घटना होगी, इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। जहां किसी अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों या अभिकर्ताओं के कृत्य, चूक या असावधानी से कोई बड़ी घटना घटित होती है तो आयोग सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी को आदेश द्वारा निर्देशित कर सकेगा कि ऐसी प्रमुख घटना के परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें सारभूत क्षति पहुंची है, या जिनकी मृत्यु हो गई है उनके उत्तराधिकारियों को या ऐसे व्यक्तियों को जो अन्यथा प्रभावित हुए हों, ऐसी राशि, जैसी आयोग निर्देशित करे, क्षतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराएं।

(5) आयोग, अपने स्वयं के विवेक पर अनुज्ञप्तिधारी के व्यय पर किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

(6) जनहित में किसी ऐसी प्रमुख घटना की पुनारावृत्ति को रोकने हेतु अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्त व्यवसाय एवं अनुज्ञप्त व्यवसाय से संबंधित किसी अन्य विषय में सुधार लाने के लिए ऐसा अध्ययन कराएगा, जैसा आयोग निर्देश दे।

(7) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी किसी घटना के बारे में विधिवत सूचित करेगा जो उसे प्रदत्त अनुज्ञप्ति के अधीन दायित्वों को पूरा करने से बाधित करती हो जिसमें अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये गये कृत्य या चूक सम्मिलित होगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी घटना के प्रभाव को दूर करने के लिए किये गये प्रयासों की जानकारी भी दी जायगी।

(8) आयोग, किसी भी घटना, चाहे प्रमुख घटना न हो, के संबन्ध में अनुज्ञप्तिधारी से प्रतिवेदन देने की अपेक्षा किसी भी समय कर सकेगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के प्रभावशील होने के 3 माह के भीतर, ऐसी कालावधि के लिए, जैसा आयोग निर्देशित करे, व्यावसायिक योजना प्रस्तुत करेगा एवं ऐसी योजना को प्रति वर्ष अद्यतन करेगा। व्यावसायिक योजना में वर्षवार भार वृद्धि, व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में कुल बिक्री, वर्षवार वितरण/पारेषण हानि घटाने की विशिष्ट कार्य योजना सहित प्रस्ताव, अंतरापृष्ठ बिन्दुओं के लिए मीटर लगाने की योजना, विनिधान योजना, पूर्व हानियों का उपचार, ऋण पुर्नसंरचना योजना, लागत में कमी की योजना, प्रक्षेपित लाभ एवं हानि लेखा, प्रक्षेपित तुलन पत्र, प्रक्षेपित नगद प्रवाह विवरण एवं प्रक्षेपित महत्वपूर्ण वित्तीय प्राचल शामिल होंगे।

(10) अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के अंत तक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की व्यावसायिक योजना के क्रियान्वयन की प्रगति आयोग को सूचित करेगा।

25. अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान

(1) अनुज्ञप्तिधारी, द्वारा विशिष्ट शर्त में उल्लेखित प्रारंभिक एवं आवधिक अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान ऐसी रीति में करेगा जैसा आयोग उक्त विशिष्ट शर्त में निर्देशित करे।

(2) जहां अनुज्ञप्तिधारी किसी देय शुल्क का नियत तिथि में आयोग को भुगतान नहीं करता है तो

(ए) अन्य दायित्वों के पूर्वाग्रह के बिना, अनुज्ञप्तिधारी बकाया राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी होगा। यह ब्याज, राशि के देय होने की तिथि के बाद के दिन से आयोग कों भुगतान किये जाने की तिथि तक की अवधि के लिए देय होगा।

(बी) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगातार चूक की स्थिति में आयोग अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण कर सकेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, टैरिफ अवधारण में लिये जाने वाले समेकित राजस्व के निर्धारण हेतु भुगतान किये गये शुल्क को व्यय के रूप में ले सकेगा, परन्तु इस खण्ड के अनुपालन में भुगतान किये गये किसी ब्याज को व्यय में शामिल नहीं करेगा।

26. विधियों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन

(1) अनुज्ञप्तिधारी, केन्द्रीय अधिनियम, नियमों, एवं इन विनियमों के उपबन्धों तथा आयोग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों की सामान्य शर्तों के अनुसार कृत्य करेगा, सिवाय इसके जबकि अनुज्ञप्ति को प्रदत्त करते समय उसे इन सामान्य शर्तों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान की गई है या अन्यथा उसके द्वारा उन्हें बदलने हेतु आयोग का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त है।

27. अनुज्ञप्ति के निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन

यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन करता है या उसके द्वारा उल्लंघन करने की संभावना है तो आयोग केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जैसे वह उचित समझता है।

28. लेखा

(1) जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जावे, अनुज्ञप्तिधारी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक होगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त व्यवसाय एवं किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में:

(ए) नियमानुसार इस प्रकार लेखा अभिलेख प्रत्येक व्यवसाय के संबंध में रखेगा जैसे कि कम्पनियों द्वारा अलग–अलग व्यवसाय किया जा रहा हो जिससे कि राजस्व, लागतों, आस्तियों, दायित्वों, सुरक्षित कोष एवं अन्य विवरण, अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्त व्यवसाय एवं अन्य व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में सामान्यतः अलग–अलग देखे जा सकें।

(बी) ऐसे लेखा अभिलेख के आधार पर सुसंगत रूप में आयोग को निम्न विवरण प्रदान करेगा:

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम छह महीनों के संबंध में एक अर्धवार्षिक लाभ एवं हानि लेखा, नगद प्रवाह विवरण एवं तुलन पत्र ऐसे सहायक दस्तावेजों एवं जानकारी के साथ जैसा कि आयोग समय–समय पर निर्धारित करे;

(ii) वार्षिक वित्तीय विवरण, एवं

(iii) तैयार किये गये लेखा विवरणों के संबंध में लेखा परीक्षक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक प्रतिवेदन देगा कि क्या ये विवरण राजस्व, लागतों, आस्तियों, दायित्वों, निधियों एवं प्रावधानों को ऐसे व्यवसाय के संदर्भ में यथोचित सहीस्थिति दर्शाते हैं;

(सी) अर्धवार्षिक लाभ एवं हानि लेखा, ऐसे संबंधित अवधि की समाप्ति से तीन माह की अवधि पूर्ण होने के पूर्व एवं लेखा विवरण एवं लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संबन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 माह के भीतर उपलब्ध किया जावेगा।

(3) आयोग को पूर्व सूचना के बिना अनुज्ञप्तिधारी वित्तीय वर्ष के संबंध में तैयार किये जाने वाले विवरण में विगत वित्तीय वर्ष में लागू प्रभार या अनुपात या राजस्व के आवंटन या व्ययों का आधार सामान्यतः बिना आयोग की पूवनुमति के परिवर्तित नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई परिवर्तन प्रस्तावित हो तो वह कंपनी अधिनियम के उपबंधों, लेखा मानकों या नियमों एवं आयोग द्वारा इस संबंध में जारी किन्हीं मार्गदर्शन के अनुसार होगा।

(4) जहां किसी वित्तीय वर्ष के लेखा विवरणों के संबंध में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अपनाये गये प्रभार का आधार, अनुपात या आवंटन में कोई परिवर्तन किया जाता है तब आयोग अनुज्ञप्तिधारी से परिवर्तन पर आधारित विवरण के अतिरिक्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के आधार के अनुसार लेखा विवरण अनुज्ञप्तिधारी से माँग सकेगा।

(5) जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा अनुमोदित या निर्देशित नहीं किया गया हो उपरोक्त उप खण्ड (2) के अंतर्गत दिये जाने वाले वित्तीय विवरण में –

(ए) अपनाई गई लेखांकन नीतियों का उल्लेख किया जावे; एवं

(बी) अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक लेखे के साथ प्रकाशित किया जावे।

(6) अनुज्ञप्त व्यवसाय या अन्य व्यवसाय की वास्तविक लागतों, दायित्वों, या जैसा उक्त व्यवसाय के लिये युक्ति युक्त हो, के संदर्भ उन करारोपण और पूंजीगत दायित्वों को छोड़ कर माने जावेगे, जो ऐसे मुख्यतः व्यवसाय ओर उनके हितों से संबन्धित न हों।

(7) अनुज्ञप्तिधारी, यह सुनिश्चित करेगा कि उप खण्ड (2) के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में तैयार किये गये लेखा विवरण, लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन ऐसी रीति में, जैसा आयोग निर्देश दे, प्रकाशित की जावे एवं किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे मूल्य पर, जो उनकी छायाप्रतियाँ करने युक्तिसंगत लागत से अधिक नहीं हो, उपलब्ध करायेगा।

29. विनिधान

(1) जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जावे, प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त व्यवसाय में विनिधान के पूर्व आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा, यदि ऐसा विनिधान आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त व्यवसाय में विनिधान के सम्बन्ध में समय–समय पर आयोग द्वारा जारी विनियमों, दिशानिर्देशों, निर्देशों एवं आदेशों का विधिवत पालन करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, व्यावसायिक योजना के अंग के रूप में आयोग के अनुमोदनार्थ विनिधान योजना प्रस्तुत करेगा जिसमें संबन्धित समयावधि में किये जाने वाले विनिधान योजना के विवरण दिये जायेंगे।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, आयोग की संतुष्टि के लिए यह प्रदर्शित करेगा कि–

(ए) विनिधान योजना में अंतर्निहित ऐसे विनिधानों की पारेषण/वितरण क्षेत्र में आवश्यकता है; और

(बी) ऐसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वितरण/पारेषण तंत्र में विनिधान हेतु या नये वितरण/पारेषण तंत्र की संपत्तियों को उपार्जित करने हेतु समस्त योग्य वैकल्पिक प्रस्तावों का तकनीकी आर्थिक विश्लेषण एवं पर्यावरण के पक्षों पर विचार कर लिया गया है।

(5)(ए) अनुज्ञप्तिधारी एवं अन्य आवेदक, जो विनिधान अनुमोदन चाहते हो, ऐसी जानकारी, विवरण, दस्तावेज, जैसा आयोग के कर्मचारीगण, इस प्रयोजन हेतु आयोग द्वारा नियुक्त सलाहकार एवं

विशेषज्ञों, द्वारा अपेक्षित हो, उपलब्ध करायेंगे एवं अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार, आधिपत्य या अभिरक्षा में रखे अभिलेखों एवं दस्तावेजों को उन्हें सुलभ दर्शन हेतु उपलब्ध करायेंगे।

(बी) अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के कर्मचारीगण, सलाहकारों एवं विशेषज्ञों को उनके कृत्यों के निर्वहन में एवं उन्हें अपने निष्कर्षों के नतीजों आयोग को सौंपने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक सहयोग देगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के अंत में निम्न जानकारी प्रास्तुत करेगाः

(ए) वित्तीय वर्ष में चलने वाली विनिधान योजनाओं के विस्तृत विवरण सहित वार्षिक विनिधान योजना;

(बी) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अपनायी गई वार्षिक विनिधान योजना के क्रियान्वयन से हुई प्रगति जिसमें वास्तविक क्रियान्वयन के साथ आयोग द्वारा संबंधित अवधि के लिए अनुमोदित योजना का तुलनात्मक विवरण।

(7) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे विवेकपूर्ण रीति में विनिधान करेगा जो राज्य में एक प्रभावशील, समन्वित एवं मितव्ययी वितरण/पारेषण तंत्र के निर्माण, अनुरक्षण एवं संचालन के अनुकुल हो।

(8) आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञप्तिधारी बड़े विनिधानों वाली किसी योजना को प्रारम्भ नहीं करेगा जो आयोग द्वारा उपखण्ड (3) के अधीन अनुमोदित विनिधान योजना के अंतर्गत न हो एवं ऐसे अनुमोदन के लिए अनुज्ञप्तिधारी आयोग की संतुष्टि के लिए उपरोक्त उपखण्ड (4) में उल्लेखित कारकों को प्रदर्शित करेगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारी, एक पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसरण करते हुए बड़े विनिधान से संबंधित उपकरण, सामग्री एवं / या सेवाओं की उपलब्धता के लिए निविदा आमंत्रित करेगा एवं उसे अंतिम रूप देगा।

(10) इस खण्ड के लिये 'बड़ा विनिधान' शब्द से अभिप्रेत है कोई सुनियोजित विनिधान या सुविधाओं के अधिग्रहण की लागत, जब इसे उसी सम्प्रदा संव्यवहार के सभी अन्य विनिधान और अधिग्रहण (यदि कोई हो) में जोड़ लिया जाय, तो वह अनुज्ञप्तिधारी पर लागू विशिष्ट शर्तों में समाविष्ट या अन्यथा आयोग द्वारा समय–समय पर किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिश्चित राशि के बारबर या उससे अधिक हो।

(11) अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त उपखण्ड (3) और (9) में उल्लेखित के अतिरिक्त अनुज्ञप्त व्यवसाय में विनिधान करने हेतु अधिकृत होगा परन्तु जब टैरिफ का निर्धारण किया जा रहा हो ऐसे विनिधानों पर विचार करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी आयोग को संतुष्ट करेगा कि उक्त विनिधान अनुज्ञप्त व्यवसाय के लिए आवश्यक था एवं ऐसा विनिधान एक दक्षतापूर्ण, समन्वित एवं मितव्ययी रीति से किया गया।

(12) अनुज्ञप्तिधारी, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 62 के अधीन संभावित राजस्व गणनाओं के साथ आगामी वित्तीय वर्ष के लिये, आयोग द्वारा अनुमोदित योजनाएं, आयोग के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत योजनाएं एवं ऐसी सभी योजनाएं जिनमें पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं है, सम्मिलित करते हुए वार्षिक विनिधान की विशिष्टताएं प्रस्तुत करेगा, एवं उक्त वित्तीय वर्ष में उक्त विनिधान योजना के अनुसार विनिधान करेगा। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत बनाये जाने वाले टैरिफ विनियमों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के टैरिफ का अवधारण करते समय आयोग द्वारा इस खण्ड के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी के विनिधान हेतु प्रदत्त अनुमोदन एवं इस खण्ड में निहित शर्तों के अनुपालन में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की कार्यवाही पर विचार किया जावेगा।

परन्तु यह कि यदि वार्षिक विनिधान योजना में सूचीबद्ध योजनाओं में कोषों के पुर्नबंटवारे में आकस्मिक आवश्यकताएं अपेक्षित हो तो अनुज्ञप्तिधारी, संपूर्ण विनिधान योजना के 10 प्रतिशत एवं विनिधान योजना के प्रत्येक मद/कार्य के लिये अनुमोदित राशि के 25 प्रतिशत तक की सीमा तक पुनर्आवंटन कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे पुनर्आवंटन की विधिवत जानकारी विनिधान करने के 7 दिवस के भीतर आयोग को देगा।

30. परिसंपत्तियों का अंतरण

(1) अनुज्ञप्तिधारी, सिर्फ एक संव्यवहार में या एक से अधिक संबंध संव्यवहारों में, कोई संपत्ति, जिसका अनुमानित पुस्तक मूल्य प्रस्तावित हस्तांतरण के समय 100 लाख से अधिक हो, इस खण्ड में नियत शर्तों के पालन किये बिना उसके संचालन के अधिकार का हस्तांतरण नहीं करेगा या उसका त्याग नहीं करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट मूल्य से अधिक की आस्ति के संचालन के अधिकार का हस्तातंरण या त्याग करने के विचार की पूर्व लिखित सूचना आयोग को देगा एवं सभी संभावित तथ्यों को आयोग को देगा और सभी प्रासंगिक तथ्यों से आयोग को सूचित करेगा। आयोग सूचना प्राप्त होने से 30 दिवस की अवधि में संव्यवहार के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकेगा और सामान्यतः ऐसी अतिरिक्त जानकारी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 30 दिवस की अवधि में प्रदत्त की जावेगी। यदि उपरोक्तानुसार कोई और अतिरिक्त जानकारी आयोग द्वारा नहीं चाही जाती है तो आवेदन पेश करने के 60 दिवस की अवधि में और ऐसे नियम और शर्तों पर या संशोधन, जो उचित समझा जाय, के अधीन हस्तांतरण व्यवस्था को अनुमोदित करेगा या उसे अस्वीकृत करेगा। अस्वीकृत करने के कारणों का लिखित उल्लेख आयोग द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश में किया जावेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, उप खण्ड (2) के अधीन दिये गये नोटिस मे उल्लेखित किसी आस्ति के संचालन नियंत्रण का हस्तांतरण या त्याग कर सकेगा, जहाँ–

(ए) आयोग लिखित रूप में सूचित करता है कि वह ऐसी शर्तों के अधीन जो आयोग अधिरोपित करें, संचालन नियंत्रण के हस्तांतरण या त्याग से सहमत हैं; या

(बी) उपरोक्त उप खण्ड (2) मे संदर्भित नोटिस की अवधि के भीतर आयोग संचालन नियंत्रण के ऐसे हस्तांतरण या त्याग पर अनुज्ञप्तिधारी को लिखित मे कोई आपत्ति सूचित नहीं करता है एवं हस्तांतरण एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी प्रक्रिया के अनुसार है।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, किसी आस्ति के संचालन नियंत्रण का हस्तांतरण या त्याग उन स्थितियों में भी कर सकेगा, जहाँ–

(ए) आयोग ने शर्तों के अध्यधीन अथवा बिना शर्त, निर्दिष्ट विवरण के संव्यवहार और/या विशिष्ट आस्तियों के हस्तान्तरण के लिये सामान्य सहमति दी है;

(बी) हस्तान्तरण किसी अन्य कानून के आदेशाधीन है; या

(सी) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रश्नाधीन आस्ति, विशेषकर या प्रारम्भिक रूप से किसी अन्य व्यवसाय के लिए अधिग्रहीत की गई थी एवं भूमि में लाभकारी अथवा विधिमान्य हित नहीं बनता या अन्यथा वितरण/पारेषण तंत्र का हिस्सा बनती हो या अनुज्ञप्त व्यापार के लिए आवश्यक आस्ति नहीं हो।

(5) अनुज्ञप्तिधारी, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अपने अपेक्षित विनिधान के लिये वित्त प्राप्ति की सहूलियत या ऋण व्यवस्था हेतु प्रतिभूति एवं प्राप्तियों की प्रतिभूति के लिये आस्तियों का उपयोग कर सकेगाः

(ए) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी व्यवस्थाओं के बारे मे सुसंगत अनुबंध के प्रभावशील होने की तिथि से 15 दिवस पूर्व आयोग को सूचित करेगा;

(बी) अनुज्ञप्तिधारी, आस्तियों के ऐसे उपयोग में विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत कार्यवाही करेगा;

(सी) अनुज्ञप्तिधारी, वितरण/पारेषण तंत्र की आस्तियों का संचालन नियंत्रण अपने अधिकार में रखेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी, इस खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, किसी आपातकालीन स्थिति में आस्तियों का अंतरण इस शर्त के अध्यधीन कर सकेगा कि ऐसे अंतरण के तुरन्त बाद संव्यवहार का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए आयोग से भूतलक्षी अनुमोदन प्राप्त करेगा। अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि वह आयोग की संतुष्टि हेतु बिना आयोग के अनुमोदन के आस्तियों के अंतरण हेतु उपस्थित हुई आपातकालीन परिस्थिति के विषय में सूचित करेगा।

31. प्रतिसंहरण की रीतियां

(1) आयोग, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 19 के उपबंधों एवं उनके अधीन बनाये गये विनियमों के अध्यधीन किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है। यदि आयोग संतुष्ट है कि प्रतिसंहरण हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध है तो वह जनहित में अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण कर सकेगा।

(2) प्रतिसंहरण के आधार निम्नानुसार होंगे –

(ए) जहां आयोग के अभिमत में अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार या उसके अधीन बने नियमों या विनियमों में अपेक्षित किसी बात को करने में जानबूझकर या लंबी अवधि के लिये चूक कर रहा है;

(बी) जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति के किसी ऐसे निबंधनों या शर्तों का उल्लंघन करता है जिनका उल्लंघन किया जाना अनुज्ञप्ति में प्रतिसंहरण का स्पष्ट रूप से आधार होना बताया गया है;

(सी) जहां अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति में इस बारे में निर्धारित समयावधि या किसी विस्तारित समयावधि, जिसे आयोग द्वारा इस हेतु स्वीकार किया गया हो, के भीतर –

(i) अनुज्ञप्ति में अधिरोपित कर्तव्यों एवं दायित्वों के पूर्णतया एवं प्रभावशाली रूप से निष्पादन की स्थिति में होने के बारे में आयोग को सन्तुष्ट करने में असमर्थ हो, या

(ii) अपनी अनुज्ञप्ति में अपेक्षित जमा नहीं करसकता है या प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं कर सकता या शुल्क या अन्य प्रभारों का भुगतान नहीं कर सकता है।

(डी) जहां आयोग के अभिमत में अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह उस पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं दायित्वों का पूर्ण एवं प्रभावशाली रूप से निष्पादन करने में असमर्थ है; और

(ई) जहां अनुज्ञप्तिधारी सभी विनियमों, संहिताओं एवं मानकों तथा आयोग के आदेशों एवं निर्देशों को भी पालन करने में विफल हो गया है या अन्यथा ऐसा कृत्य किया है, जो केन्द्रीय अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करने के किन्ही अन्य आधारों के रूप में उल्लेखित हो।

[1]{*(एफ) जहॉ आयोग की रॉय में उसकी स्थिति या तथ्य ऐसे है, जो कि अनुज्ञप्ति में निर्धारित कर्तव्यों को पूर्ण करने की अनुज्ञप्तिधारी की क्षमता के सम्बन्ध में संदेह पैदा करते हों।*

स्पष्टीकरण – इन विनियमों में '' स्थिति या तथ्य '' से अभिप्रेत है, आवेदक या उसका कोई साझेदार अथवा संचालक या समर्थक (Promoter) को किसी न्यायलय द्वारा; नैतिक कार्यों, अभियोग / किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा हानिप्रद आदेष, बैंक द्वारा अनुज्ञप्तिधारी या उसके

साझेदार, संचालक या समर्थक (Promoter) को दिवालिया घोषित, किसी आर्थिक अपराध में संलग्नता, कपटपूर्ण अथवा अनैतिक व्यापारिक कार्य, चालाकी पूर्ण व्यापार और कोई अन्य पर्याप्त कारण; पाया जाता है।}[1]

(3) जहां आयोग के अभिमत में लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो तो आवेदन प्राप्त होने पर या अनुज्ञप्तिधारी की सहमति से उसके व्यवसाय के क्षेत्र के संपूर्ण हिस्से या उसके किसी भाग की, ऐसे निबन्धन और शर्तें, जैसी आयोग उचित समझे, अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण कर सकेगा।

(4) अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के पूर्व यदि आयोग आवश्यक समझे है तो मामले को राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्यों के निष्पादन हेतु एक वैकल्पिक व्यवस्था पर सम्मति देगा।

32. अनुज्ञप्ति की शर्तों में संशोधन

(1) आयोग, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18 के अधीन शक्तियों को प्रयोग करते हुए, यदि जनहित में उचित समझता है, तो वह अनुज्ञप्ति की इन सामान्य शर्तों को किसी भी समय परिवर्तित या संशोधित कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान अनुज्ञप्ति की शर्तों में किसी परिवर्तन या संशोधन हेतु लागू होंगे।

अध्याय 4 : पारेषण अनुज्ञप्ति के लिए अन्य शर्तें

33. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य एवं कृत्य

(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 40 के अधीन उपबंधित कर्तव्यों का विधिवत पालन करेगा।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्तिधारियों एवं उत्पादन कंपनियों, केप्टिव उत्पादन संयंत्र एवं इच्छुक उपभोक्ता के उपयोग हेतु पारेषण लाइनों में पारेषण की क्षमता की उपलब्धता के अध्यधीन एवं उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय हेतु ऐसे पारेषण तंत्र के उपयोग हेतु केन्द्रीय अधिनियम की धारा 40 सहपठित धारा 42 की उपधारा 6(2) में परिकल्पित प्रति उपदान (क्रास सब्सिडी) के सामयिक स्तर को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रभार के भुगतान के अध्यधीन पक्षपात रहित खुली पहुंच उपलब्ध करायेगा।

(3) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 17 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना निम्न कार्य नहीं करेगाः

(ए) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की यूटीलिटी को क्रय द्वारा या अधीनीकरण या अन्यथा अर्जित करने हेतु कोई संव्यवहार;

(बी) किसी उत्पादन कंपनी या उत्पादन केन्द्र में किसी लाभकारी हित का अर्जन; या

(सी) छत्तीसगढ़ राज्य में किसी व्यक्ति को विद्युत का पारेषण, जिसे आयोग द्वारा अधिकृत नहीं किया गया हो।

[1]{(4) *पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसा कोई अनुबंध नही करेगा या भिन्न प्रकार से विद्युत व्यापार के कार्य में संलग्न नही होगा अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विद्युत व्यापार में सहयोग नही करेगा।}1*

1. विनियम क्रमांक 27 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2008 द्वारा दिनांक 07.05.2008 से अंतःस्थापित / प्रतिस्थापित

(5) अनुज्ञप्तिधारी, अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को अपने पारेषण प्रणाली में अतिशेष क्षमता की उपलब्धता की सीमा तक मध्यवर्ती पारेषण सुविधा प्रदान करेगा। अतिशेष क्षमता की उपलब्धता पर किसी विवाद की स्थिति में उसे आयोग द्वारा निर्णित किया जावेगा। मध्यवर्ती सुविधाओं के उपयोग हेतु प्रभार, निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य आपसी सहमति से तय की जायेंगी। किसी भी असहमति की स्थिति में उसे आयोग द्वारा विनिश्चित किया जावेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी के किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न होने की स्थिति में वह व्यवसाय निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा –

(ए) उसके किसी अन्य व्यवसाय के कारण, अनुज्ञप्त व्यावसाय एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसका संचालन किसी भी रीति में पक्षपातपूर्ण संचालन या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

(बी) ऐसे अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व का अनुपाती भाग, जैसा कि आयोग द्वारा निदेशित किया जावे, पारेषण एवं व्हीलिंग के प्रभारों को कम करने में उपयोग होगा;

(सी) अनुज्ञप्तिधारी, अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में पृथक लेखा अभिलेख तैयार करेगा और रखेगा, जैसा कि खण्ड 24(2) में उल्लिखित है;

(डी) अनुज्ञप्त व्यवसाय से अन्य व्यवसाय को किसी भी प्रकार से आर्थिक सहायता नहीं दी जावेगी और न ही अपनी पारेषण संपत्तियों पर, ऐसे अन्य व्यवसाय को सहारा देने हेतु, किसी प्रकार का ऋण भार उत्पन्न करेगा; एवं

(ई) अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, पारेषण प्रणाली में इस्तेमाल की गई किसी आस्ति को अन्य व्यवसाय के लिए हस्तांतरित नहीं करेगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त व्यवसाय के अतिरिक्त किसी व्यवसाय के लिये किसी ऋण को प्राप्त करने या किसी व्यक्ति के दायित्व के लिए प्रतिभूति जारी करने के पूर्व, आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(8) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, अपनी किसी भी सहायक कंपनी या नियंत्रक कंपनी या नियंत्रक कंपनी की ऐसी सहायक कंपनी को, अनुज्ञप्त व्यवसाय से संबन्धित किसी माल या सेवाएं, उपलब्ध कराने हेतु नियुक्त कर सकेगा–

(ए) संव्यवहार दूरी के आधार पर (at arms length) होगा एवं ऐसे मूल्य पर होगा जो परिस्थितियों के अनुसार उचित एवं युक्तिसंगत हो;

(बी) संव्यवहार व्यवसाय के संबंध में माल एवं सेवाओं संबंधी आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार होगा।

(सी) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी व्यवस्था को प्रारम्भ करने के पूर्व, आयोग को ऐसी व्यवस्था के विस्तृत विवरण सहित 15 दिवस की सूचना देगा।

(9) ऐसी सहायक या नियंत्रक कंपनी या नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनी की नियुक्ति के समस्त अन्य प्रकरणों में आयोग का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। जहां ऐसा पूर्व अनुमोदन अपेक्षित हो, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, सुसंगत तथ्यों का वर्णन करते हुए आयोग के समक्ष एक उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करेगा। आयोग, आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिवस के भीतर आवेदन के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी मांग सकेगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने के 30 दिवस के भीतर एवं जहां आगे ऐसा अतिरिक्त अन्वेषण आवश्यक न हो, सामान्यतः आवेदन प्रस्तुत करने के 60 दिवस के भीतर, ऐसे निबंधनों एवं शर्तों या संशोधनों के अध्यधीन जैसा आयोग उपयुक्त समझे, व्यवस्था को अनुमोदित करेगा या, इस हेतु जारी किये जाने वाले आदेश में कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, उसे अस्वीकार कर देगा।

(10) अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी समय विक्रय द्वारा, लीज द्वारा, विनिमय द्वारा या अन्यथा, अपनी अनुज्ञप्ति का अभिहस्तांकन नहीं करेगा या अपनी युटिलिटी या उसके किसी भाग को हस्तांतरित नहीं करेगा। आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, अनुज्ञप्तिधारी इस संबंध में आयोग के समक्ष, सुसंगत तथ्यों का खुलासा करते हुए एक उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करेगा एवं आयोग ऐसे आवेदन का त्वरित निपटारा करेगा।

(11) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र एवं क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र एवं अन्य वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में जारी आदेशों एवं निदेशों का पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विधिवत पालन करेगा।

(12) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञात व्यवसाय के संचालन में किसी व्यक्ति को कोई अवांछित प्राथमिकता नहीं देगा।

34. पारेषण योजना, सुरक्षा मानक एवं पारेषण संचालन मानक

(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण तंत्र की ऐसी योजना बनायेगा एवं संचालन करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि पारेषण तंत्र, ग्रिड संहिता एवं योजना, सुरक्षा तथा संचालन मानकों के अनुरूप एक दक्षतापूर्ण, मितव्ययी एवं समन्वित पारेषण तंत्र बने, संचालित एवं संधारित हो। [1]{*जैसा कि "केन्द्रीय अधिनियम की धारा 73 के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्देषित किया जाए।*}[1]

(2)(ए) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे समय के भीतर, जैसा आयोग निर्देशित करे, विद्युत प्रदाय के योजना एवं सुरक्षा मानकों तथा विद्युत प्रदाय संचालन मानकों के अनुरूप स्तर को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थाएं करेगा।

(बी) सुरक्षा मानक ऐसे मानक होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अपनी योजनओं को ऐसे संचालित करे ताकि विद्युत का पारेषण, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित और आयोग द्वारा अनुमोदित विश्वसनीयता एवं गुण के स्तरों को प्राप्त करे; या जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर निर्देशित किया जाय।

(सी) संचालन मानक, संचालन सुरक्षा के ऐसे स्तरों के हों, जैसा आयोग द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जाय।

(3)(ए) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अपनी पारेषण और प्रणाली के लिए विद्यमान योजना एवं सुरक्षा मानकों तथा संचालन मानकों और अपने पारेषण तंत्र से संयोजित उत्पादन क्षमता के लिए उसके द्वारा अपनाई गयी विद्यमान योजना एवं सुरक्षा मानकों तथा संचालन मानकों की जानकारी ऐसी समयावधि में, जैसी आयोग विशिष्ट शर्तों में या अन्यथा निर्देशित करें, प्रस्तुत करेगा। ऐसे विद्यमान मानक ऐसे संशोधनों सहित, जैसा आयोग निर्देशित करे, तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक आयोग द्वारा नये मानक अनुमोदित नहीं कर दिये जाते।

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी समयावधि में, जैसा आयोग द्वारा विशिष्ट शर्तों में निर्देशित किया गया हो या अन्यथा, प्रदायकर्ताओं, उत्पादन कंपनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी, राज्य पारेषण यूटीलिटी, क्षेत्रीय ऊर्जा समिति एवं अन्य ऐसे व्यक्तियों, जैसा आयोग निदेशित करे, एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, इन सामान्य शर्तों के अनुसार, प्रस्तावित पारेषण योजना एवं सरुक्षा मानकों तथा पारेषण संचालन मानकों को अनुमोदन हेतु आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(बी) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस खण्ड के अनुपालन में प्रस्तुत पारेषण योजना एवं सुरक्षा मानक तथा पारेषण संचालन मानक, आयोग द्वारा अपेक्षित संशोधनों सहित, ऐसी तिथि से प्रभावशील होंगे जैसा कि आयोग निर्देशित करे।

1. विनियम क्रमांक 27/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2008 द्वारा दिनांक 07.05.2008 से जोड़ा गया

(4) यदि पारेषण योजना एवं सुरक्षा मानक या पारेषण संचालन मानक के अनुपालन में बाधा दैवीय प्रकोप के कारण आई हो और यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे मानकों के पालन के लिए युक्ति–संगत प्रयास किये गये हों तो अनुज्ञप्तिधारी अपने दायित्वों का उल्लंघन करने का उत्तरादायी नहीं ठहराया जावेगा।

(5) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, ग्रिड संहिता के पुर्नविलोकन के प्रत्येक अवसर पर प्रदायकर्ताओं, उत्पादन कंपनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी, राज्य पारेषण यूटीलिटी, क्षेत्रीय ऊर्जा समिति एवं ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जैसा आयोग आदेशित करे विचार विमर्श के पश्चात मानकों एवं उनके क्रियान्वयन को पुर्नविलोकित करेगा। किसी ऐसे पुर्नविलोकन के बाद पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को –

(ए) ऐसे पुर्नविलोकन के परिणाम पर प्रतिवेदन भेजेगा; और

(बी) ऐसे पुर्नविलोकन के परिणाम के संबंध में समय–समय पर ऐसे दस्तावेजों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित कोई पुनरीक्षण की जानकारी भेजेगा; और

(सी) परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्रदायकर्ताओं, उत्पादन कंपनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी, राज्य पारेषण यूटीलिटी, क्षेत्रीय ऊर्जा समिति एवं अन्य ऐसे व्यक्तियों, जैसा आयोग आदेशित करे, द्वारा दिये गये लिखित अभ्यावेदन या आपत्तियां, जिनमें पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकार नहीं किये गये भी शामिल होंगे।
परन्तु यह कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर, इस शर्त के प्रयोजनों के लिए, आयोग द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को मानकों एवं उनके पालन के दायित्वों से उस सीमा तक मुक्त किया जायगा, जैसा आयोग के अनुज्ञप्तिधारी को जारी किये गये आदेश में उल्लेख हो।

(6) किन्ही लिखित अभ्यावेदनों एवं आपत्तियों के प्राप्त होने पर एवं आगे ऐसा विचार विमर्श करने पर, जैसा आयोग उचित समझे, आयोग, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को मानकों को ऐसी रीति में, जैसा निर्देशों में उल्लेखित हो, संशोधन करने हेतु निर्देश जारी कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा निर्देशित संशोधनों पर विधिवत कार्यवाही करेगा।

(7) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पारेषण तंत्र की कार्यक्षमता को इंगित करते हुए एक प्रतिवेदन आयोग को सौंपेगा। यदि आयोग द्वारा अपेक्षित हो तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा निर्धारित रीतियों में प्रतिवेदन का प्रकाशन करेगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां, छायाप्रति किये जाने की सामान्य लागत पर, ऐसे सभी व्यक्तियों को प्रदाय करेगा जिन्होंने इस हेतु आवेदन किया हो।

(8) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के अनुरोध पर, ऐसी जानकारियां उपलब्ध करायेगा जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्यों एवं दायित्वों के परिवीक्षण के प्रयोजन हेतु अपेक्षित हो।

35. ग्रिड संहिता

(1) अनुज्ञप्तिधारी, लागू ग्रिड संहिता का विधिवत पालन सुनिश्चित करेगा।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अन्य अनुज्ञप्तिधारियों एवं उत्पादन कंपनियों के साथ विचार–विमर्श कर राज्य पारेषण यूटीलिटी द्वारा समय–समय पर ग्रिड संहिता बनाया जायगा एवं आयोग द्वारा अनुमोदित किये जाने पर कार्यान्वित किया जायगा।जब तक कि राज्य ग्रिड संहिता को अमल में नहीं लाया जाता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंतरिम ग्रिड संहिता का पालन किया जावेगा।

(3) आयोग, उपयुक्त आधारों पर और किसी प्रभावित उत्पादन कंपनी, अनुज्ञप्तिधारी, राज्य पारेषण यूटीलिटी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र एवं विद्युत व्यापारी से विचार–विमर्श करने के पश्चात्, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को, ग्रिड संहिता के किसी भाग पर एवं ऐसी सीमा तक, जैसा आयोग विनिश्चित करे, उसके दायित्वों से मुक्त करने हेतु निर्देश जारी कर सकेगा।

(4) राज्य पारेषण यूटीलिटी, ग्रिड संहिता तथा पारेषण अनुज्ञप्ति के संचालन के सम्बन्ध में इसके समय–समय पर क्रियान्वयन पर पुनर्विलोकन हेतु अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी, क्षेत्रीय ऊर्जा समिति या एसे अन्य व्यक्तियों, जैसा आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है, से विचार विमर्श कर पुर्नविलोकन कर सकता है। इस प्रकार का पुनर्विलोकन तीन वर्षों में कम से कम एक बार अवश्य किया जाना चाहिए। इस प्रकार के पुनर्विलोकन के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी, आयोग एवं राज्य पारेषण यूटीलिटी को:

(ए) ऐसे पुर्नविलोकन के परिणाम पर एक प्रतिवेदन भेजेगा; एवं

(बी) समय–समय पर ग्रिड संहिता में प्रस्तावित कोई संशोधन, जैसा राज्य पारेषण यूटीलिटी युक्तिसंगत रूप से उचित समझे भेजेगा; एवं

(सी) राज्य पारेषण यूटीलिटी द्वारा विचार–विमर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किये गये समस्त लिखित अभ्यावेदन एवं आपत्तिया भी भेजेगा।

36. प्रणाली का संयोजन एवं उपयोग

(1) अनुज्ञप्तिधारी, उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने पारेषण तंत्र के उपयोग के लिए पक्षपात–हीन, स्वतंत्र पहुंच देने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनायेगा जो आयोग द्वारा अधिसूचित स्वतंत्र पहुंच विनियम के अनुसार पर्याप्त पारेषण क्षमता की उपलब्धता के अध्यधीन होगी और आगे यह कि उपयोगकर्ता द्वारा, पारेषण प्रकार एवं अधिकार सहित समस्त प्रभारों, जिसमें लागू पारेषण प्रभार एवं अधिभार शामिल होंगे, के भुगतान की सहमति के अध्यधीन होगा।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा पारेषण तंत्र के उपयोग के आशय से संयोजन प्राप्त करने के लिए आवेदन पर, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे व्यक्ति को पारेषण तंत्र से संयोजन प्राप्त करने के लिए या ऐसे विद्यमान संयोजन में संशोधन करने के लिए, एक अनुबंध निष्पादित करने का प्रस्ताव देगा एवं ऐसे प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान होंगे–

(ए) चाहा गया संयोजन प्राप्त करने के लिए मीटरों की स्थापना सहित आवश्यक कार्यों का किया जाना;

(बी) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण तंत्र को सुद्दढ़ बनाने के लिए आवश्यक कार्यों का क्रियान्वयन;

(सी) आयोग द्वारा निर्देशित संयोजन प्रभारों का भुगतान; एवं

(डी) कार्य पूर्ण होने की तिथि एवं अन्य ऐसी शर्तें जो परिस्थितियों के अनुसार सुसंगत हों।

(3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त खण्ड 35(1) या 35(2) के अनुसार अनुबंध की शर्तों का प्रस्ताव, प्रणाली के आशयित उपयोगकर्ताओं को यथाशीघ्र देगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, किसी अनुबंध को निष्पादित करने का प्रस्ताव देने हेतु बाध्य नहीं होगा, यदि –

(ए) पारेषण प्रणाली में पर्याप्त पारेषण क्षमता उपलब्ध नहीं है। परन्तु यह कि ऐसी क्षमता का उपलब्ध होना या न होना राज्य पारेषण यूटीलिटी के निर्धारण के अध्यधीन होगा एवं ऐसे निर्धारण के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में वह आयोग के विनिश्चय के अध्यधीन होगा;

(बी) वह केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों का उल्लंघन संभावित हो;

(सी) प्रचलित नियमों सहित पारेषण व्यवसाय पर लागू सुरक्षा या मानको से संबंधित किसी नियमों या विनियमों का उल्लंघन संभावित हो;

(डी) ग्रिड संहिता का उल्लंघन हो;

(ई) आवेदन करने वाला व्यक्ति, समय–समय पर प्रभावी ग्रिड संहिताओं के, उस विस्तार तक जितना उस व्यक्ति पर लागू हो, पालन का उत्तरदायित्व नहीं लेता हो; या

(एफ) आवेदन करने वाला व्यक्ति, लागू प्रभारों, अधिभारों, तथा आयोग द्वारा निर्धारित पारेषण तंत्र में विद्युत हानियों का समायोजन का भुगतान करने में विफल हो।

(4) यदि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए युक्तिसंगत प्रतीत होने वाली कालावधि के पश्चात्, किसी पारेषण तंत्र के आशयित उपयोगकर्ता से अनुबंध निष्पादित करने में विफल होता है तो ऐसे आशयित उपयोगकर्ता के अनुरोध पर, आयोग, अनुबन्ध की ऐसी शर्तों को तय कर सकता है एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों पर, ऐसा अनुबंध तत्काल निष्पादित करेगा और उसे कार्यान्वित करेगा।

(5) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण तंत्र में प्रामाणिक योजना मानदण्डों के अधीन उत्तरवर्ती पाँच वित्तीय वर्षों के प्रत्येक वर्ष के संबंध में परिपथ (circuit) क्षमता, ऊर्जा, प्रवाह एवं भार क्षमता को प्रदर्शित करते हुए वार्षिक आधार पर एक विवरण तैयार करेगा एवं आयोग को निम्नलिखित के सहित प्रस्तुत करेगा –

(ए) ऐसी प्रणाली से संयोजित होने एवं उसका उपयोग करने पर प्राप्त होने वाले अवसरों को पहचानने एवं उनको मूल्यांकन करने के समर्थ बताने वाली युक्तिसंगत रूप से आवश्यक अन्य सूचना जो किसी व्यक्ति को प्रणाली का उपयोग करना चाहता है के लिये सुसंगत हो, और

(बी) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किया गया विवरण जो उसके दृष्टिकोण में, नये संयोजनों एवं विद्युत की अतिरिक्त मात्रा के परिवहन के अधिकतम उपयुक्त पारेषण प्रणाली के हिस्से प्रदर्शित करता हो।

(6) पारेषण प्रणाली के उपयोग की इच्छा रखने वाले किसी व्यक्ति या प्रदायकर्ता, के अनुरोध पर, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त वितरण को अद्यतन करेगा जिसमें विशेषतः उस सहूलियत का उल्लेख होगा जिसके लिए किसी अन्य व्यक्ति या प्रदायकर्ता द्वारा पारेषण प्रणाली के उपयोग एवं संयोजन हेतु अनुरोध किया गया हो।

(7) पारेषण प्रणाली के उपयोग की इच्छा करने वाले व्यक्तियों से, कोई विवरण प्रदान करने या प्रेषित करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसी राशि प्रभार के रूप में ले सकेगा जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे विवरणों को उपलब्ध कराने में युक्तिसंगत लागत के रूप में लगी हो।

(8) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण व्यवसाय के संचालन के लिये सभी आवश्यक संबंधित या प्रासंगिक गतिविधियों को करने हेतु अधिकृत होगा जिसमें अनुज्ञप्त पारेषण व्यवसाय के लिए, सूचना तकनीकी आधारित समाधानों जैसे सुदूर मीटरीकरण इत्यादि के क्रियान्वयन के लिए, उपयुक्त संचार के जाल को बिछाना एवं उसका संचालन सम्मिलित होगा।

37. अपेक्षित राजस्व गणना एवं टैरिफ

(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, प्रभारों से प्राप्त प्रत्याशित राजस्व की गणना करेगा जिन्हें अधिनियम के उपबंधों, आयोग के विनियमों, टैरिफ के निबंधनों एवं शर्तों तथा आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों, आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार वसूलने हेतु उसे अनुज्ञात किया गया हो।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम में उपबंधित रीतियों एवं केन्द्रीय अधिनियम की धारा 61 के अधीन बने विनियमों के अनुसार प्रत्याशित राजस्व गणना एवं प्रस्तावित दर को समाविष्ट करते हुए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) जब तक कि विशिष्ट शर्तों में या आयोग द्वारा बनाये किसी आदेश या निर्देश में अन्यथा उपबंधित न हो, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक आयोग को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करेगा –

(ए) केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों एवं आयोग द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों, दिशा–निर्देशों एवं आदेशों के अनुसार अपने अनुज्ञात व्यवसाय के लिए आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्याशित कुल राजस्व एवं सेवा की लागत (वित्तीय लागतों एवं साम्या पर उनके प्रस्तावित प्रतिफलों सहित) का विस्तृत विवरण; एवं

(बी) विनिधान के विशिष्ट विवरण सहित वार्षिक विनिधान योजना, जिसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आगामी वित्तीय वर्ष में करने का प्रस्ताव करता है एवं यदि कोई योजना, जो आयोग द्वारा पहले से ही अनुमोदित की जा चुकी है, जिसका ऐसे विनिधान एक हिस्सा बनते हों, के यथोचित संदर्भ में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आगामी वित्तीय वर्ष में अपेक्षित राजस्व के अंतर्गत समावेश करने का इच्छुक है। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपने प्रत्येक अनुज्ञात व्यवसायों एवं अन्य व्यवसायों के लिए पृथक से उपरोक्त संदर्भित विवरण एवं विनिधान विवरण तैयार करेगा और आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(4) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्याशित राजस्व गणना सहित, आयोग के द्वारा निर्धारित रीति में, अपेक्षित राजस्व प्राप्त करने हेतु विद्युत दर के प्रस्ताव तथा आयोग द्वारा अनुमोदित लागू दरों के पुनर्विलोकन को निहित कर ऐसे अन्य समय या समयावधि पर जैसा आयोग विशेष रूप से अनुमति दे, आवेदन देगा।

38. राज्य पारेषण यूटीलिटी पर सामान्य शर्तों का लागू होना

पारेषण अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण से संबंधित उपबंधों एवं केन्द्रीय अधिनियम की धारा 32 के अधीन राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कृत्यों एवं अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) के खण्ड (ब) एवं (स) के अधीन राज्य पारेषण यूटीलिटी की गतिविधियों को छोड़कर, इन सामान्य शर्तों के उपबंध, राज्य पारेषण यूटीलिटी पर भी लागू होंगे।

अध्याय 5 : वितरण अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तें

39. वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य एवं कार्य

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अपने वितरण क्षेत्र में एक दक्ष, समन्वित एवं लाभकारी वितरण प्रणाली विकसित एवं संधारित करेगा एवं ऐसे प्रदाय क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय करेगा।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी –

(ए) विद्युत उत्पादन कंपनियों, विद्युत व्यपारियों या अन्य व्यक्तियों से, जिनसे उसका विद्युत खरीदी या अधिप्राप्ति का करार था व्यवस्था हो जिसके निबन्धन एवं शर्तें आयोग द्वारा अनुमोदित की गई हों, विद्युत का क्रय, अन्यथा उपार्जन कर सकेगा;

(बी) किसी भी व्यक्ति से, जिसकी विद्यमान उत्पादन इकाई अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के दिनांक को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तंत्र से सीधे संबंद्ध एवं अंतर्रापृष्ठ हो, विद्युत का क्रय अथवा उपार्जन कर सकेगा। परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत ऊर्जा के ऐसे क्रय या उपार्जन

के लिए विद्यमान व्यवस्थाओं बाबत आयोग को सूचित करेगा एवं आयोग का सामान्य या विशेष अनुमोदन प्राप्त करेगा;

(सी) किसी व्यक्ति या अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे टैरिफ और निबंधनों एवं शर्तों पर, जैसी आयोग द्वारा अनुमोदित हो, विद्युत का क्रय या अन्यथा उपार्जन कर सकेगा;

(डी) अपने वितरण क्षेत्र के अंतर्गत किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए विद्युत के वितरण एवं / या प्रदाय हेतु फ्रेंचाइजी को, ऐसे फ्रेंचाइजी द्वारा किसी पृथक अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना, नियुक्त कर सकेगा। परन्तु उस प्रदाय क्षेत्र में भी विद्युत के वितरण हेतु अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी होगा;

(ई) पृथक से व्यापारी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता के बिना विद्युत में व्यापार का कार्य कर सकेगा;

(एफ) किसी व्यक्ति को, आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाये गये विनियमों के अनुसार, विद्युत के प्रवाह हेतु वितरण प्रणाली तक पहुंच उपलब्ध करायेगा; और

(जी) अपने विद्युत प्रदाय के क्षेत्र में विद्युत प्रदाय के अपने दायित्वों के निर्वहन में, ऐसी अवधि के लिए एवं विद्युत की उस मात्रा या क्षमता का, जिसकी उसे आवश्यकता न हो, संविदाकृत विद्युत क्षमता या विद्युत मात्रा का विक्रय कर सकेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, केवल अपनी अनुज्ञप्ति के अनुसार, आयोग द्वारा यथा अनुमोदित टैरिफ और शर्तों एवं निबन्धनों पर किसी व्यक्ति को विद्युत का विक्रय, प्रदाय या अन्यथा इसका निबटारा करेगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के अधीन अपने दायित्वों के निर्वहन के लिये आवश्यक ऊर्जा को मितव्ययी रीति से एवं पारदर्शी विद्युत क्रय या उपार्जन प्रक्रिया एवं आयोग द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों, मार्गदर्शनों, निर्देशों के अनुसार क्रय करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 51 के अधीन जारी विनियमों के समान किसी अन्य व्यवसाय का कार्य कर सकेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त व्यवसाय के प्रयोजन के अतिरिक्त किसी को कर्ज देने के पूर्व या किसी व्यक्ति के किसी दायित्व के लिए किसी गारंटी जारी करने के पूर्व आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, किसी सहायक कंपनी या नियंत्रक कंपनी, या ऐसी नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनी को, अनुज्ञप्त व्यवसाय से संबन्धित कोई माल या सेवाएं, अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध कराने हेतु नियुक्त कर सकेगाः–

(ए) संव्यवहार, दूरी के आधार पर (at arms length) होगा एवं परिस्थितियों के अनुसार उचित एवं युक्तिसंगत मूल्य पर होगा;।

(बी) संव्यवहार अनुज्ञप्त व्यवसाय के संबन्ध में माल एवं सेवाओं संबन्धी आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार होगा; और

(सी) अनुज्ञप्तिधारी ऐसी व्यवस्था को प्रारम्भ करने के पूर्व, आयोग को ऐसी व्यवस्था के विस्तृत विवरण सहित 15 दिवस की सूचना देगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के अनुसार अपने किसी कृत्य के क्रियान्वयन या उसके संचालन के लिए सहायक या सहयोगी कंपनियों की स्थापना कर सकेगा या फ्रेंचाइज़ प्रदान कर सकेगा या बिलिंग अभिकर्ता की नियुक्ति सहित प्रबंधन ठेका दे सकेगा। परन्तु यह कि सहायक या संयुक्त कंपनियों या फ्रेंचाइजियों या अभिकर्ताओं या ठेकेदारों की समस्त कार्यवाहियों के लिए अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी होगा।

(9) जैसा ऊपर उपखण्ड (8) में उपबंधित है उसके सिवाए अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपनी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के अधीन किसी कृत्य का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करेगा।

(10) जब कभी आयोग द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 42 (2) के अंतर्गत खुली पहुंच की अनुमति प्रदान की जाती है, तो अनुज्ञप्तिधारी, वितरण प्रणाली के संचालन में कोई बाध्यता नहीं होने एवं आयोग द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा निर्धारित लागू टैरिफ एवं प्रभार, उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान किये जाने के अध्यधीन, अन्य अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादन कंपनियां, जिनमें केप्टिव उत्पादन संयंत्र भी शामिल होंगे एवं उपभोक्ताओं को वितरण प्रणाली के उपयोग हेतु खुली पहुंच उपलब्ध करायेगा।

(11) अनुज्ञप्तिधारी, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 17 के निबंधन के अनुसार, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, निम्न कार्यवाही नहीं करेगा :—

(ए) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की यूटीलिटी को, क्रय द्वारा या अधिकार में लेकर या अन्यथा, अर्जित करने हेतु कोई संव्यवहार;

(बी) किसी उत्पादन कंपनी या उत्पादन केन्द्र में किसी लाभकारी हित का अर्जन; या

(सी) राज्य में, अनुज्ञप्ति के अधीन नहीं आने वाले, किसी व्यक्ति को विद्युत का पारेषण वितरण या प्रदाय।

(12) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अपने वितरण प्रणाली में अतिशेष क्षमता की उपलब्धता की सीमा तक अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को मध्यवर्ती वितरण सुविधा प्रदान करेगा। अतिशेष क्षमता की उपलब्धता पर विवाद की स्थिति में उसे आयोग द्वारा अवधारित किया जावेगा। आयोग द्वारा इस प्रयोजन हेतु किसी आदेश के अध्यधीन, मध्यवर्ती सुविधाओं के उपयोग हेतु प्रभार, निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य आपसी सहमति से तय किये जायेंगे। असहमति की स्थिति में उसे आयोग द्वारा विनिश्चित किया जावेगा।

(13) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, किसी भी व्यक्ति को प्रदाय क्षेत्र में, विद्युत के वितरण एवं प्रदाय या सेवाएं प्रदान करने में अनुपित पक्षपात नहीं दिखायेगा। यदि आयोग के किसी आदेश या केन्द्रीय अधिनियम की धारा 65 के अधीन राज्य शासन से परिदान के भुगतान संबंधी आदेश के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप किसी उपभोक्ता से कोई विभेदन होता है तो उसके लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुचित पक्षपात के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जावेगा।

40. वितरण प्रणाली की योजना एवं सुरक्षा मानक, वितरण प्रणाली के संचालन मानक, संपूर्ण निष्पादन मानक

(1) आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण संहिता सहित वितरण प्रणाली योजना एवं सुरक्षा के मापदण्डों के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी वितरण प्रणाली की योजना बनायेगा, तथा उसका विकास एवं संचालन करेगा।

(2)(ए) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अपनी वितरण प्रणाली के लिए लागू योजना एवं सुरक्षा मानकों एवं संचालन मानकों और अपने वितरण तंत्र से संयोजित उत्पादन क्षमता के लिए वितरण हेतु अपनाई जाने वाली लागू योजना एवं सुरक्षा मानकों एवं संचालन मानकों का, ऐसी समयाविध में जैसा आयोग की विशिष्ट शर्तों में निर्देशित हो या अन्यथा, आयोग को प्रस्तुत करेगा। आयोग द्वारा निर्देशित ऐसे विद्यमान मानक ऐसे संशोधनों सहित, तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक आयोग द्वारा नये मानक अनुमोदित नहीं कर दिये जाते।

(बी) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी समयावधि में जैसी आयोग द्वारा विशिष्ट शर्तो में निर्देशित की गयी हो या अन्यथा, प्रदाय कर्ताओं, उत्पादन कंपनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी, राज्य पारेषण यूटीलिटी, क्षेत्रीय ऊर्जा समिति एवं अन्य ऐसे व्यक्तियों, जैसा आयोग निर्देशित करे, इन सामान्य शर्तों के अनुसार वितरण योजना तथा सुरक्षा मानकों एवं वितरण संचालन मानकों के प्रस्ताव आयोग को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(सी) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत और आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण योजना तथा सुरक्षा मानक एवं वितरण संचालन मानक, ऐसी तिथि से प्रभावशील होंगे जैसा कि आयोग निर्देशित करे।

(3) यदि वितरण योजना, सुरक्षा मानक या वितरण संचालन मानक की पूर्ति में दैवीय प्रकोप के कारण बाधा आई हो तो अनुज्ञप्तिधारी अपने दायित्वों के निर्वहन न करने का उत्तरदायी नहीं ठहराया जावेगा, परंतु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे मानकों के अनुपालन के लिए युक्तिसंगत प्रयास किये गये हों।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विवरण संहिता के पुर्नविलोकन के प्रत्येक अवसर पर, प्रदायकर्ताओं, उत्पादन कंपनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी, राज्य पारेषण यूटीलिटी, क्षेत्रीय ऊर्जा समिति एवं ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जैसा आयोग आदेशित करे, विचार विमर्श कर मानकों एवं उनके क्रियान्वयन का पुर्नविलोकिन करेगा। किसी ऐसे पुर्नविलोकन के अनुसरण में अनुज्ञप्तिधारी आयोग को जानकारी भेजेगा–

(ए) ऐसे पुर्नविलोकन के परिणाम पर प्रतिवेदन भेजेगा; और

(बी) पुर्नविलोकन के परिणाम के परिप्रेक्ष्य ऐसे दस्तावेजों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समय–समय पर प्रस्तावित किसी पुनरीक्षण की जानकारी भेजेगा; और

(सी) प्रदायकर्ताओं, उत्पादन कंपनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी, राज्य पारेषण यूटीलिटी, क्षेत्रीय ऊर्जा समिति एवं अन्य ऐसे व्यक्तियों, जैसा आयोग आदेश करे, से परामर्श कार्यवाही के दौरान प्राप्त किये गये लिखित अभ्यावेदन या आपत्तियां (जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जो स्वीकार नहीं की गई है उन्हें शामिल कर)

परन्तु यह कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर आयोग, उसे सीमा तक, जैसा कि आयोग द्वारा इस शर्त के प्रयोजनों के लिए निदेश जारी कर बताया वे, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को मानकों एवं उनके पालन के पुनर्तिलोकन के दायित्वों से मुक्त कर सकेगा।

(5) किन्हीं लिखित अभ्यावेदनों एवं आपत्तियों के प्राप्त होने पर एवं ऐसे और आगे विचार विमर्श करने पर, जैसा आयोग उचित समझे, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को मानकों में ऐसी रीति में, जैसा निदेशों में उल्लेखित हो, संशोधन करने निदेश आयोग जारी कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा निदेशित संशोधनों पर विधिवत कार्यवाही करेगा।

(6) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके वितरण तंत्र की कार्यक्षमता को इंगित करते हुए एक प्रतिवेदन आयोग को सौंपेगा। अनुज्ञप्तिधारी के कार्य निष्पादन के वितरण संहिता, वितरण (प्रदाय की शर्ते) संहिता और आयोग द्वारा बनाई गई अन्य संहिताओं एवं विनियमों के पालन के अनुसार किया जायेगा। यदि आयोग द्वारा अपेक्षित हो, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, प्रतिवेदन की संक्षेपिका ऐसी रीति में, जैसी आयोग द्वारा अनुमोदित हो, प्रकाशित करेगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी, अपने अनुज्ञप्त व्यवसाय को ऐसी युक्ति संगत एवं अच्छी रीति में जैसी कि आयोग द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित किया जावे, संचालित करेगा, जिससे

विद्युत प्रदाय सेवाओं एवं उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत के दक्षतापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने संबंधी उपबंधों के कार्य निष्पादन मानको को प्राप्त किया जा सके।

(8) अनुज्ञप्तिधारी, प्रतिवर्ष ऐसे साधनों की जानकारी आयोग को देगा, जिन्हें कार्य निष्पादन मानकों एवं उस पर लागू अन्य मानकों के स्तर को प्राप्त करने के लिए वह प्रस्तावित करता हो।

41. वितरण (प्रदाय की शर्तें) संहिता एवं वितरण संहिता

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण (प्रदाय की शर्तें) संहिता एवं वितरण (योजना एवं संचालन) संहिता का पालन करेगा।

(2)(ए) वितरण (प्रदाय की शर्तें) संहिता में अन्य बातों के अतिरिक्त, विद्युत प्रभारों की वसूली, विद्युत प्रभारों के देयक में अंतराल, उसके भुगतान न करने पर विद्युत प्रदाय का विच्छेद, विद्युत प्रदाय की पुर्नस्थापना, विद्युत संयंत्र, विद्युत तारों या मीटर से छेड़छाड़ करना, नुकसान पहुंचाना या क्षति ग्रस्त करना, विद्युत प्रदाय के विच्छेद या मीटर हटाने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति का प्रवेश, विद्युत तारों या विद्युत संयंत्र या मीटर को बदलने, सुधारने या संधारण हेतु प्रवेश हेतु प्रावधान किए जाएगें।

(बी) अनुप्तिधारी के अनुरोध पर, आयोग, वितरण (प्रदाय की शर्तें) संहिता के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी को, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के ऐसे हिस्सों के संबंध में एवं उस सीमा तक, जैसा आयोग निर्देशित करे, उसके दायित्वों से मुक्त करने के निर्देश जारी कर सकेगा।

(3) वितरण (प्रदाय की शर्तें) संहिता के अतिरिक्त, आयोग द्वारा, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर, वितरण के क्षेत्र में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत के प्रदाय पर लागू की जाने वाली अन्य शर्तें, समय–समय पर अनुमोदित की जा सकेंगी।

(4) अन्य बातों के अतिरिक्त, वितरण संहिता में वितरण प्रणाली के संचालन और उपयोग से संबन्धित वितरण प्रणाली से संबद्ध विद्युत लाइनों, विद्युत उपकरणों और संयन्त्रों के संचालन के लिये सभी आवश्यक तकनीकी पक्षों को समाहित किया जायगा, लेकिन वितरण प्रणाली के संचालन एवं उपयोग को सीमित न करते हुए इसमें वितरण योजना तथा संयोजन संहिता भी शामिल होगी, जिसमें निम्न बातें अंतर्विष्ट होंगीः

(ए) योजना संहिता में विद्युत प्रदाय के क्षेत्र में वितरण लाइनों एवं सर्विस लाइनों को बिछाने के लिए योजना, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली की योजना एवं विकास के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीकी एवं अभिकल्पना मानक एवं प्रक्रियाओं का वर्णन होगा; और

(बी) संयोजन संहिता में, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से कनेक्शन चाहने वाले या संबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा पालन किये जाने वाले तकनीकी, अभिकल्पना एवं संचालन मानकों का वर्णन होगा। वितरण संचालन संहिता में उन शर्तों का वर्णन होगा जिनके अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वितरण प्रणाली का संचालन और प्रणाली से जुड़े व्यक्तियों के संयन्त्र और/या वितरण प्रणाली का संचालन किया जाना है जो जहाँ तक आवश्यक हो सामान्य एवं असामान्य संचालन परिस्थितियों में अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के सूरक्षित संचालन तथा सुरक्षा के वचाव एवं प्रदाय की गुणवत्ता से संबन्धित हो।

(5) वितरण संहिता ऐसे अभिकल्पित की जायेगी ताकि वह एक प्रभावकारी, समन्वित एवं मितव्ययी वितरण प्रणाली को विकसित, संधारित एवं संचालित कर सके।

(6) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जब तक वितरण (प्रदाय की शर्ते) संहिता या वितरण संहिता प्रभावशील नहीं होते हैं, वही प्रक्रियाएं, ऐसे संशोधनों सहित जैसा आयोग द्वारा निदेशित या स्वीकृत की जावें, अपनायेगा जो राज्य में प्रदाय अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा अपनायी जा रही हैं।

(7) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, समय–समय पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन कंपिनियों एवं अन्य ऐसे व्यक्तियों, जैसा आयोग आदेश दे, के साथ विचार–विमर्श कर, वितरण संहिता एवं उसके क्रियान्वयन, जैसा उचित समझे, का पुर्नविलोकन करेगा। जब कभी आयोग द्वारा निर्देशित किया जावे अनुज्ञप्तिधारी ऐसा पुर्नविलोकन करगा। ऐसे किसी पुर्नविलोकन के बाद अनुज्ञप्तिधारी आयोग को

(ए) ऐसे पुर्नविलोकन के परिणाम पर एक प्रतिवेदन भेजेगा;

(बी) वितरण संहिता एवँ अपनी अनुज्ञप्ति के उददेश्यों को प्राप्त करने हेतु, वितरण संहिता में कोई प्रस्तावित संशोधन, जिन्हें अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे पुर्नविलोकन के परिणाम के संबंध में युक्तिसंगत रूप से उचित समझता हो, की जानकारी और

(सी) ऐसे पुर्नविलोकन के दौरान प्राप्त होने वाले समस्त लिखित अभ्यावेदन एवं आपत्तियाँ।

(8) वितरण संहिता के पुर्नविलोकन हेतु आयोग का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारी, किसी व्यक्ति के अनुरोध पर तत्समय पर प्रभावशील वितरण संहिता एवं वितरण (प्रदाय की शर्तें) संहिता एवं उनकी पद्धति की प्रतियां उस कीमत पर उपलब्ध करायेगा, जो प्रतिलिपि बनाने में लगने वाली युक्तिसंगत लागत से अधिक न हो।

(10) अनुज्ञप्ति के प्रदान करने के 90 दिवस के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के निर्माण एवं वितरण सुविधाओं से संबंधित विद्यमान संहिताओं एवं पद्धतियों का संकलन आयोग को प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान संहिताओं एवं प्रक्रियाओं का ऐसे संशोधनों सहित, जैसा आयोग समय–समय पर निर्देशित करे, पालन करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्माण पद्धतियाँ समय–समय पर पुनर्विलोकित एवं उच्चस्तरीय की जावेंगी, जैसा सुसंगत तकनीकी सुधारों एवं बदलावों के आधार पर उचित समझा जाय।

(11) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, निम्नलिखित का पालन करेगा–

(ए) उपभोक्ता सेवा

(1) बिलों के भुगतान की व्यवहार संहिता

(ए) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति प्रदान होने से 90 दिवस के भीतर, उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिलों के भुगतान एवं ऐसे उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए, जिन्हें ऐसे बिलों के भुगतान में कठिनाई हो रही हो, उचित मार्गदर्शन सहित एवं उपभोक्ता द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में विच्छेंदन की प्रक्रियाओं संबन्धी व्यवहार संहिता तैयार करेगा एवं आयोग के अनुमोदन के लिए उसे प्रस्तुत करेगा। अनुमोदन प्रदान करते समय, आयोग, व्यवहार संहिता में ऐसे संशोधन कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझता हो।

(बी) आयोग, अभ्यावेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा कर सकेगा कि व्यवहार संहिता एवं उसके क्रियान्वयन की रीति जिसमें उसे लागू किया गया है, का पुर्नविलोकन यह निर्धारित करने के लिए करें कि क्या उसके क्रियान्वयन की रीति में कोई संशोधन किया जाना चाहिए।

(सी) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अन्य व्यक्तियों से जैसा आयोग निर्देशित करे विचार–विमर्श के पश्चात् पुर्नविलोकन करेगा एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किये गये एवं स्वीकार नहीं किये गये

कोई अभ्यावेदन सहित व्यवहार संहिता में चाहेगये कोई संशोधन आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। आयोग, यदि आवश्यक समझे तो देयकों के भुगतान से संबंधित व्यवहार संहिता को संशोधित कर सकता है।

(डी) वितरण अनुज्ञप्तिधारीः

(i) उपभोक्ताओं का ध्यान, आयोग द्वारा निर्देशित रीति में, लागू व्यवहार संहिता एवं उसके प्रत्येक सारभूत संशोधन एवं उनका निरीक्षण कैसे किया जा सकता है या संहिता की अद्यतन प्रति कैसे प्राप्त की जा सकती है, की ओर आकर्षित करेगा;

(ii) सामान्य कार्य के घंटों के दौरान, आम जनता के द्वारा निरीक्षण के लिए समय–समय पर संशोधित व्यवहार संहिता की एक प्रति उपलब्ध करायेगा; और

(iii) प्रत्येक नए उपभोक्ता को एवं किसी अन्य व्यक्ति को, जो इस हेतु अनुरोध करता है, ऐसे मूल्य पर, जो उसकी फोटो प्रतिलिपि बनाने की लागत से अधिक न हो, समय–समय पर संशोधित एक अद्यतन प्रति उपलब्ध करायेगा।

(ई) जब तक उपभोक्ताओं द्वारा बिलों के भुगतान पर व्यवहार संहिता, जैसा इस कंडिका में उल्लेखित है, आयोग के अनुमोदन सहित अपनायी नहीं जाती है तब तक उपभोक्ताओं द्वारा बिलों के भुगतान की विद्यमान पद्धति एवं प्रक्रियाओं को ऐसे संशोधनों सहित जैसा आयोग निर्देशित करे, वितरण अनुज्ञप्तिधारी पालन करेगा।

(बी) शिकायत निराकरण की प्रक्रिया

(ए) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 42 के अधीन, आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी, एक फोरम की स्थापना करेगा।

(बी) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम के गठन के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति के प्रभावी होने के युक्तिसंगत समयावधि में, आयोग के अनुमोदन से, अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के निपटाने की प्रक्रिया को अधिसूचित करेगा। आयोग, राज्य सलाहकार समिति या व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय, जैसे आयोग प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं के हितों को प्रतिनिधित्व करने योग्य समझता है, से विचार विमर्श करेगा और प्रक्रिया में ऐसे संशोधन कर सकेगा।

(सी) आयोग, अभ्यावेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की शिकायत निराकरण की प्रक्रिया का एवं उस रीति का जिसमें उसे क्रियान्वित किया गया है, के पुर्नविलोकन करने की अपेक्षा करेगा, यह जानने के लिये कि क्या उसमें या उसके क्रियान्वयन की रीति में कोई संशोधन किया जाना है।

(डी) पुर्ननिरीक्षण को शामिल करते हुए इस तरह स्थापित कोई प्रक्रिया, उस समयावधि को अधिसूचित करेगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की शिकायतों पर कार्यवाही और उन्हें सुलझाया जाना अपेक्षित हो।

(ई) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, स्थापित प्रक्रिया में किये जाने वाले किसी प्रस्तावित संशोधन को, अनुमोदन हेतु आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(एफ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, –

(i) उपभोक्ताओं का ध्यान, उस प्रक्रिया के अनुसार जैसा की आयोग निर्देशित करे, शिकायत निराकरण की प्रक्रिया के अस्तित्व एवं उसके प्रत्येक सारभूत संशोधन एवं उनका निरीक्षण कैसे किया जा सकता है या शिकायत निराकरण की प्रक्रिया की अद्यतन रूप में प्रति कैसे प्राप्त की जा सकती है, की ओर आकर्षित करेगा।

(ii) सामान्य कार्य के घंटों के दौरान आम जनता के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए समय–समय पर संशोधित शिकायत निराकरण प्रक्रिया की एक प्रति अपने संबद्ध कार्यालयों में उपलब्ध करायेगा।

(iii) प्रत्येक नए उपभोक्ता को एवं किसी अन्य व्यक्ति को जो इस हेतु अनुरोध करता है, ऐसे मूल्य पर, जो उसकी फोटो प्रतिलिपि बनाने की लागत से अधिक न हो, संशोधित प्रति उपलब्ध करायेगा।

(स) उपभोक्ताओं के अधिकार का विवरण

(ए) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के प्रभावी होने के पश्चात् ऐसी युक्तिसंगत कालावधि के भीतर, जैसा आयोग निर्देशित करे, या ऐसे अन्य समय के भीतर जैसा आयोग स्वीकृत करे, अपने उपभोक्ताओ को उपभोक्ता अधिकारों को स्पष्ट करते हुए, उपभोक्तओं के अधिकार का विवरण तैयार कर आयोग को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। आयोग, राज्य सलाहकार समिति एवं अन्य ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की संस्थाओं, जिन्हें आयोग प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में उचित समझता हो, से ऐसे विचार–विमर्श करके विवरण में ऐसे संशोधन कर सकेगा, जिन्हें वह जनहित में आवश्यक समझता हो।

(बी) आयोग, अभ्यावेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा कर सकेगा कि बनाये गये उपभोक्ताओं के अधिकार के विवरण एवं उनके क्रियान्वयन की रीति का पुर्नविलोकन यह निर्धारित करने के लिए करे कि क्या उसमें या उसके क्रियान्वयन के तरीकों में कोई संशोधन किया जाना चाहिए।

(सी) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किये गये एवं स्वीकार नहीं किये गये अभ्यावेदन सहित उपभोक्ताओं के अधिकार के विवरण में चाहे गये कोई संशोधन अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। आयोग, विद्यमान उपभोक्ताओं के अधिकारों के विवरण में संशोधन कर सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझे।

(द) वितरण अनुज्ञप्तिधारी –

(ए) उपभोक्ताओं का ध्यान आयोग द्वारा निर्देशित रीति में, उपभोक्ताओं के अधिकार के विवरण के अस्तित्व एवं उसके प्रत्येक सारभूत संशोधन एवं उनका निरीक्षण कैसे किया जा सकता है या विवरण की अद्यतन रूप में प्रति प्राप्त कैसे की जा सकती है, की ओर आकर्षित करेगा।

(बी) सामान्य कार्य के घंटों के दौरान आम जनता द्वारा निरीक्षण के लिए समय–समय पर संशोधित उपभोक्ताओं के अधिकार के विवरण की एक प्रति कार्यालयों में उपलब्ध करायेगा।

(सी) प्रत्येक नए उपभोक्ता को एवं किसी अन्य व्यक्ति को, जो इस हेतु अनुरोध करता है ऐसे मूल्य पर, जो उसकी फोटो प्रतिलिपि बनाने की लागत से अधिक न हो, समय–समय पर संशोधित एक अद्यतन प्रति उपलब्ध करायेगा।

(12) केन्द्रीय अधिनियम के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्यों के पालन के मानकों का वितरण अनुज्ञप्तिधारी विधिवत पालन करेगा, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर निर्देशित किया जावे।

42. वितरण अनुज्ञप्तिधारी को छूट

वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जो विद्युत का अंतर्राज्यीय व्यापार करने के लिए अधिकृत है, पूंजीगत पर्याप्तता मानकों एवं साख योग्यता सहित खण्ड 44 एवं 45 में विनिर्दिष्ट तकनीकी या वित्तीय अपेक्षाओं से मुक्त होगा।

परन्तु यह कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 16 के उपबन्ध के अधीन आयोग, सामान्य या विशिष्ट शर्तों को निर्धारित कर सकेगा, जिनका अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत व्यापारी की गतिविधियों को निरंतर रखने हेतु पालन किया जाना आवश्यक है।

अध्याय 6 : व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी के लिए सामान्य शर्तें

43. व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य एवं कृत्य

(1) व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी, राज्य में विद्युत के व्यापार में संलग्न रह सकेगा। परंतु यह कि अन्य के अलावा उपभोक्ताओं को विद्युत के विक्रय या प्रदाय की स्थिति में, यह केन्द्रीय अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) में उपबंधित प्रति उपदान (क्रास सब्सिडी) के वर्तमान स्तर की पूर्ति करने हेतु अतिरिक्त प्रभार के भुगतान के अध्यधीन होगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त व्यवसाय के लिए ऋण देने या प्रतिभूति जारी करने के सिवाय किसी ऋण को देने या किसी व्यक्ति के दायित्व के लिए प्रतिभूति जारी करने के पूर्व, आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(3) व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी भी समय अपनी अनुज्ञप्ति को किसी भी तरीके से हस्तांतरित या अभिहस्तांकित नहीं करेगा।

(4) विद्युत व्यापारी, अनुज्ञप्ति की संपूर्ण कालावधि में स्वतंत्र साख निर्धारण (Credit Rating) एजेंसी द्वारा निर्धारित विनिधान साख श्रेणी को बनाये रखने हेतु युक्तियुक्त प्रयास करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा इन विनियमों में विद्युत व्यवसायी होने के लिए विनिर्दिष्ट तकनीकी अपेक्षाओं, अपेक्षित पर्याप्त पूंजी एवं साख योग्यताओं से शासित होगा एवं जब व्यापार की मात्रा बढ़ती हो तब इन तकनीकी एवं पूंजीगत पर्याप्तता अपेक्षाओं, जिसमें कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, को आवश्यकतानुसार बढ़ायेगा।

(6) *''यदि अनुज्ञप्तिधारी के व्यापार का विस्तार निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में पहुंचता हो, अनुज्ञप्तिधारी अपनी शुद्ध वित्तीय सार्मथ्य बढ़ायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष, जो 31 मार्च को समाप्त होता है, के दौरान विद्युत व्यापार की मात्रा के आधार पर श्रेणी का बदलाव निर्धारित किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी अपनी वित्तीय सार्मथ्य के परिवर्तन से आयोग को अवगत करायेगा। व्यापार अनुज्ञप्ति की श्रेणियां निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:—*

क्र.	*व्यापार अनुज्ञप्ति की श्रेणी*	*एक वर्ष में विद्युत व्यापार की प्रस्तावित मात्रा (किलो—वॉट आवर्स में)*
01.	*A*	*100 मिलियन तक*
02.	*B*	*100 से 200 मिलियन तक*
03.	*C*	*200 से 500 मिलियन तक*
04.	*D*	*500 मिलियन से 700 मिलियन तक*
05.	*E*	*700 मिलियन से 1000 मिलियन तक*
06.	*F*	*1000 मिलियन से अधिक*

(7) अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा समय—समय पर नियत की गई अंतर्राज्यीय व्यापारिक लाभ सीमा के अध्यधीन व्यापार करेगा।

1. विनियम क्रमांक 27 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2008 द्वारा दिनांक 07.05.2008 से प्रतिस्थापित

(8) अनुज्ञप्तिधारी, व्यापार को प्रारम्भ करने के पूर्व दूरभाष, फैक्स कम्प्यूटर, इंटरनेट सुविधा जैसी पर्याप्त संचार सुविधायें स्थापित करेगा और उनका संधारण करेगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारी, समस्त व्यापारिक गतिविधियों के संबंन्ध में क्षेत्रीय विद्युत मंडलों या क्षेत्रीय ऊर्जा समितियों, जैसा भी प्रकरण हो, राज्य भार प्रेषण केन्द्र एवं राज्य पारेषण यूटीलिटी से सामंजस्य स्थापित करेगा।

(10) आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये अधिकृत किसी व्यक्ति को, अनुज्ञप्तिधारी, समस्त सहयोग प्रदान करेगा।

(11) अनुज्ञप्तिधारी, लगातर चार तिमाहियों तक व्यापारिक गतिविधियों के चालू रखने में चूक या उपेक्षा नहीं करेगा।

(12) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसा कोई आपसी समझौता नहीं करेगा जिससे उसके प्रमुख स्थान का दूरूपयोग हो। वह ऐसा किसी समूह में शामिल नहीं होगा जिससे विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा पर विपरीत रुप से प्रभाव पडता हो या पडने की आशंका हो।

(13) व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी, ग्रिड संहिता, वितरण संहिता, वितरण (प्रदाय की शर्तें) संहिता एवं अन्य संहिताओं मानकों, तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्र, अन्य विधिक प्राधिकारियों द्वारा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में जारी आदेशों एवं निदेशों का विधिवत पालन करेगा।

(14) व्यवसाय समुचित अनुबन्ध करने वाले पक्षों के मध्य द्विपक्षीय रुप से व्यापार होगा। पक्षकारों के मध्य किये गये अनुबंध में विद्युत के प्रदाय या विद्युत व्यवसाय के लिए भुगतान की आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था होगी।

(15) विद्युत व्यापारी –

(ए) विद्युत के क्रय एवं विक्रय के लिए किये गये समस्त अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं एवं ऐसे अनुबंधों के अधीन उसे अपने दायित्वों के निर्वहन के लायक बनाने वाली व्यापारी अनुज्ञप्ति द्वारा अपेक्षित समस्त आवश्यक अधिकार पत्रों को अपने पास रखेगा।

(बी) विद्युत के पारेषण या व्हीलिंग, जैसा भी प्रकरण हो, के लिये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ किये गये आवश्यक समझौतों को अपने पास रखेगा।

(सी) बिल एवं व्यवस्थापन अनुबंध को भी अपने पास रखेगा, जो कि उसके एवं विद्युत प्रदायकर्ता, जिसमें उत्पादन कंपनियां भी सम्मिलित है, के मध्य अथवा उसके एवं अन्य अनुज्ञप्तिधारियों, जो विद्युत के क्रेता हैं, के मध्य और उसके एवं उपभोक्ताओं, के जो व्यापारी या उपभोक्ता हैं, के मध्य किये गये हों।

(डी) उपभोक्ता को सूचित करेगा कि कब संविदा की अवधि समाप्त होगी एवं संविदा समाप्ति के पश्चात उपभोक्ता पर कौन सा टैरिफ एवं निबंधन एवं शर्ते लागू होंगी। यदि व्यापारी और उपभोक्ता के बीच नियत समयावधि के लिए संविदा की गई है तो नियत समयावधि की समाप्ति पर, पूर्व में प्रदत्त व्यवस्थायें, यथावत रहेगी।

(ई) समस्त व्यावसायिक संव्यवहारों की एक अद्यतन पंजी अथवा अभिलेख रखेगा, जिसमें उसके उपभोक्ताओं की अद्यतन जानकारी शमिल की गई होगी।

(एफ) आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कोई अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

(16) विद्युत व्यापारी, विद्युत के पारेषण के व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा।

(17) अनुज्ञप्तिधारी, जितने शीघ्र संभव हो, आयोग को निम्न स्थितियों से अवगत करायेगाः

(ए) उसकी परिस्थितियों में कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो अधिनियम, नियमों एवं विनियमों, आयोग द्वारा जारी निर्देशों एवं आदेशों, ग्रिड संहिता या अनुज्ञप्ति या अनुबंध के अधीन उसके दायित्वों के निर्वहन में अनुज्ञप्तिधारी की क्षमता को प्रभावित करता हो।

(बी) अधिनियम के नियमों एवं विनियमों, उपबंधों, आयोग द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों, ग्रिड संहिता, अनुज्ञप्ति या अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण उल्लंघन; और

(सी) अनुज्ञप्ति के अंशधारण स्वामित्व या प्रबंधन में कोई प्रमुख परिवर्तन।

(18) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जो उसके कार्य के अनुश्रवण, उसके द्वारा अनुज्ञप्ति के निबन्धन एवं शर्तों के पालन तथा कोई अन्य विधिक या नियामक अपेक्षा का पालन सुनिश्चित करने के लिये समय–समय पर आवश्यक हो। उक्त जानकारी प्रपत्र 7 एवं 8 में प्रस्तुत की जायगी। जानकारी निर्धारित प्रपत्र में राज्य भार प्रेषण केन्द्र एवं आयोग को प्रतिलिपि सहित, त्रैमासिक आधार पर जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर एवं अक्टूबर से दिसंबर के लिए क्रमशः अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी की 10 तारीख तक प्रस्तुत की जावेगी। राज्य भार प्रेषण केन्द्र को प्रेषित प्रतिवेदन विद्युत व्यापारी की बेवसाइट या कोई अन्य अधिकृत बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जावेगा।

(19) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, प्रतिवेदन में दर्शाई व्यापार की गयी विद्युत की मात्रा का सत्यापन करेगा एवं आयोग को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(20) तकनीकी एवं वित्तीय पैरामीटर के बारे में तथा व्यापारी अनुज्ञप्ति धारी द्वारा पालन किये जाने वाले प्रतिमान का पालन करेगा। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 52 के उपबन्धों के अनुसार इस में तकनीकी अपेक्षाएं, पूंजी की पर्याप्तता तथा साख विश्वसनीयता शामिल होंगे।

44. व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं

(1)(ए) व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक के पास तकनीकी योग्यता एवं अंर्तराज्यीय व्यापार की मात्रा के व्यवस्था हेतु पर्याप्त संसाधन होने चाहिएँ।

(बी) आयोग, समय–समय पर, साधारण या विशेष आदेश के द्वारा, विद्युत व्यापारी द्वारा बनायी रखी जाने वाली तकनीकी क्षमताओं के बाबत, निश्चय कर सकेगा।

(सी) आवेदक, विद्युत व्यापारी के कर्तव्यों के संपादन हेतु तकनीकी आवश्यकताओं के परिपालन में, प्रबंधन में, इंजीनियरिंग में उपाधि प्राप्त एवं विद्युत उद्योग में पर्याप्त अनुभव वाला कम से कम एक व्यक्ति रखेगा।

(2) विद्युत व्यापारी, तकनीकी क्षमताओं एवं संसाधनों को बनाये रखेगा एवं किये गये किसी भी परिवर्तन, जिससे क्षमता पर प्रभाव पड़ता हो, परिवर्तनों के विवरण सहित, आयोग को सूचित करेगा। उसे आयोग को संतुष्ट करना होगा कि परिवर्तन के बाद जो क्षमता बनाई रखी है वह उसके द्वारा किय जाने वाले व्यापार की मात्रा के प्रबंधन हेतु पर्याप्त है।

45. व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए वित्तीय अपेक्षाएं

(1) आवेदक, एक माह में की जाने वाले व्यापार की अधिकतम प्रस्तावित मात्रा एवं अपनी प्रारंभिक तीन वर्षों की भविष्य की व्यापार योजना आयोग को बतायेगा।

(2) "आवेदक अधिकतम विद्युत व्यापार की मात्रा के प्रबंध के बराबर की साख हेतु समुचित पूंजी पर्याप्तता तथा शुद्ध वित्तीय सार्मथ्य 30 दिन (एक माह) के औसत व्यवस्थापन के लिए सदैव बनाये रखेगा। आवेदन के समय विद्युत व्यापारी की शुद्ध वित्तीय सार्मथ्य निम्नानुसार निर्धारित राशि से कम नही होना चाहिये :–

क्र.	*व्यापार अनुज्ञप्ति की श्रेणियां*	*शुद्ध वित्तीय सार्मथ्य (रू. करोड़ में)*
1.	*A*	*1.5*
2.	*B*	*3.0*
3.	*C*	*7.5*
4.	*D*	*10.0*
5.	*E*	*15.0*
6.	*F*	*20.0*

46. विद्युत की सुरक्षा एवं प्रदाय संबंधी उपबंध

अनुज्ञप्तिधारी, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 53 के उपबंधों के अनुसार विद्युत के पारेषण या वितरण संबंधी ऐसे उपायों का विधिवत पालन करेगा।

अध्याय 7 : विवाद समाधान

(1) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (f) एवं आयोग के विनियमों के अनुसरण में आयोग, अनुज्ञप्तिधारी एवं किन्हीं अन्य अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य या अनुज्ञप्तिधारी एवं उत्पादन कंपनी के मध्य के विवादों के अधिनिर्णय एवं निपटारे हेतु माध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु या व्यक्ति (व्यक्तियों) को माध्यस्थ (माध्यस्थों) के रूप में नामनिर्दिष्ट करने हेतु अधिकृत होगा।

(2) आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम के अनुसार विवादों के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया, आयोग द्वारा प्रारम्भ एवं संचालित की जा सकेगी या विवादों को अन्य व्यक्तियों को मध्यस्थता हेतु सौंपा जा सकेगा, जैसा भी प्रकरण हो।

अध्याय 8

48. विविध

(1) इन सामान्य शर्तों एवं उनके निबंधनों एवं शर्तों की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न समस्त वाद विषय आयोग के निर्धारण की विषय वस्तु होंगे एवं ऐसे वाद विषयों पर आयोग का विनिश्चय, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 111 के अंतर्गत अपील के अधिकार के अध्यधीन, अंतिम होगा।

(2) आयोग, अनुज्ञप्ति को प्रदान करते समय, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के आदेश में या किसी विशिष्ट अनुज्ञप्तिधारी को लागू विशिष्ट शर्तों के द्वारा इन सामान्य शर्तों के उपबंध की कोई प्रयुक्ति को छोड़ सकेगा या संशोधन कर सकेगा।

(3) यहां अंतर्विष्ट सामान्य शर्ते, केन्द्रीय अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात्, अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले समस्त आवेदकों एवं अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं पंचम परंतुक के अधीन समझे गये समस्त अनुज्ञप्तिधारियों पर भी लागू होंगी।

1. विनियम क्रमांक 27/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2008 द्वारा दिनांक 07.05.2008 से प्रतिस्थापित

[1]{**49 अधिकार का संषोधन**

उपरोक्त विनियमों के प्रावधानों में आयोग किसी भी समय, परिवर्तन, सुधार, आशोधन अथवा संषोधन कर सकेगा।}1

टीपः– इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(अजय श्रीवास्तव)
उपसचिव

1. विनियम क्रमांक 27/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2008 द्वारा दिनांक 07.05.2008 से अंतःस्थापित